दैनिक

बुद्ध का संदेश

हिन्दी समाचार पत्र

एक विश्वास....

पंचायत के चौथे सीजन का ऐलान ...8

सिद्धार्थनगर
शनिवार, 05 अप्रैल 2025
वर्षः 12 अंकः 112 पृष्ठः 8
आमंत्रण मूल्य 2/- रुपया

लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, बरेली, सीतापुर, सोनभद्र, गोण्डा, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महराजगंज, रामपुर, रायबरेली, सिद्धार्थनगर में एक साथ प्रसारित।

सम्पादक : राजेश शर्मा

दैनिक बुद्ध का संदेश 8795951917, 9415163471 @budhakasandesh budhakasandeshnews@gmail.com www.budhakasandesh.com

उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार (DAVP) से सरकारी विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

शाह ने वक्फ संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी की सराहना की, कहा वर्षों से जारी अन्याय खत्म होगा

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा

कि संसद द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दिए जाने से वर्षों से जारी अन्याय और भ्रष्टाचार समाप्त होगा तथा न्याय और समानता के युग का आरंभ होगा। शाह की यह टिप्पणी राज्यसभा द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के कुछ समय बाद आई। लोकसभा ने बृहस्पतिवार को विधेयक को मंजूरी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "आज एक ऐतिहासिक दिन है जब संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को स्वीकृति देकर वर्षों से जारी अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत किया है और न्याय व समानता के युग की शुरुआत की है।" गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्ति अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और न्यायसंगत होने वाली हैं। इससे निश्चित ही मुस्लिम समुदाय के गरीबों, महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, "करोड़ों लोगों को न्याय देने वाले इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू को बधाई देता हूं। साथ ही, इसका समर्थन करने वाले सभी दलों व सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

क्या 16 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले की जांच कर पायेगी सीबीसीआईडी ?

दैनिक बुद्ध का संदेश

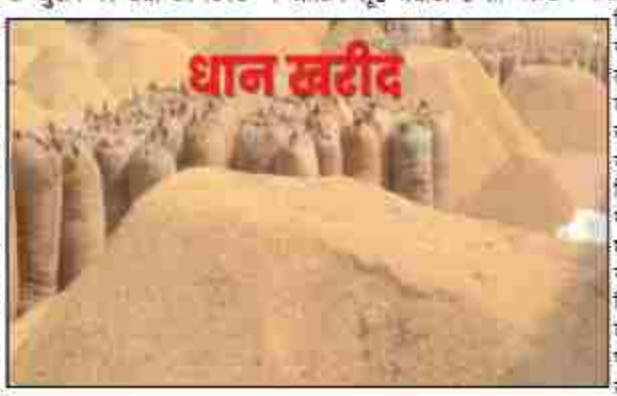

सिद्धार्थनगर। 16 करोड़ 16 करोड़ 16 करोड़ आखिर कौन है 16 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का जिम्मेदार कौन है महाघोटालेबाज यह इन दिनों बुद्ध जीवियों एवं जनपदवासियों के जुबान पर चर्चा का विषय बना हुआ है आपको बता दे कि इन दिनों जनपद में 37 क्रय केंद्रों पर धान बेचने वाले घोटाले की जांच जहां जिलाधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी टीम जांच कर रही थी तो वहीं अब विधानसभा में बात को लेकर जहां नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय तथा शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने मोर्चा संभाल लिया है और सीबीसीआईडी की मांग कर बैठे लेकिन जिन 16 करोड़ रुपए के जांच को एसआईटी टीम अभी तक नहीं कर पाई क्या सीबीसीआईडी इन 16 करोड़ रुपए की जांच कर पाएगी इस को लेकर लोगों के मन में संसय बना हुआ है आपको बता दे की पूरी कहानी जनपद सिद्धार्थनगर में 37 क्रय केंद्रों पर धान बेचने वाले 4000 किसानों का है जहां इसमें कई विभागीय कर्मचारियों ने जमकर लूट मचाया है तो वहीं अपने बचाव में सही कार्य करने वाले क्रय केंद्रों और ठेकेदारों के ऊपर निशान लगाकर कार्यवाई करने की मांग कर रहे हैं लेकिन यदि सीबीसीआईडी सही से जांच करती है तो विभागीय कर्मचारी बड़ी संख्या में इसके लपेटे में आ सकते हैं विभागीय सूत्रों की माने तो यह सारी कहानी अपने आप को बचाने के लिए की जा रही है यदि सीबीसीआईडी सही तरीके से जांच करती है तो दूध का दूध और पानी का पानी सही हो सकता है जिले में 16 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले की जांच कर रही एसआईटी 37 क्रय केंद्रों पर धान बेचने वाले चार हजार किसानों और विभाग से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ कर चुकी है। मामले की तह तक पहुंचने और घोटाले की पटकथा लिखने वालों तक पहुंचने के लिए एसआईटी सबसे संदिग्ध लेनदेन, एकाएक बड़ी धनराशि के खाते में आने वाले, रुपये आते ही विभिन्न खातों में भेजने वालों चार हजार में सबसे संदिग्ध 30 प्रतिशत किसानों की जांच कर रही है। एसआईटी टीम खेती के रकबे से लेकर पंजीकरण व बिक्री की तारीख, खाते में धनराशि आने की तिथि आदि की जांच कर रही थी। आप को बता दे की एसआईटी टीम किसानों के बैंक खातों की पूरी सूची (नाम, खाता संख्या, आधार नंबर, मोबाइल नंबर) एकत्र करेगी पूरा सर्च करने में लगी है। धान खरीद रिकॉर्ड (तौल पर्ची, भुगतान राशि, तिथि) और किसानों के रजिस्ट्रेशन डेटा से मिलान भी हो रहा था। एसआईटी प्रभारी सीओ सदर सुजीत कुमार राय जांच टीम में शामिल इंस्पेक्टर के द्वारा शहर पीसीएफ कार्यालय पहुच कर जांच की जा चुकि है एसआईटी टीम ने कार्यालय में मौजूद कर्मचारी से संबंधित 37 क्रय केंद्र प्रभारियों के संबंध में जानकारी ली थी। इसके अलावा खरीद से संबंधित कागजात को देखा था। कई फाइलों को भी पलटा था। लेकिन 16 करोड़ के घोटाले को नहीं पता कर पाई है।

पीसीएफ के कार्यालय में हर वर्ष होने वाले ऑडिट में कैसे छिपा रहा घोटाला

किसानों के धान को क्रय केंद्रों पर बेचने का सत्यापन एसडीएम और एडीएम के द्वारा किया जाता है तो आखिर किस प्रकार से इनके सत्यापन में घोटाला पकड़ में नहीं आया था तो वहीं हर वर्ष पीसीएफ का जनपद स्तर पर ऑडिट टीम द्वारा जांच भी किया जाता है लेकिन प्रत्येक वर्ष होने वाले जांच में भी कोई घोटाला सामने नहीं आया था अब जब सामने घोटाले आ रहे हैं तो विभागीय कर्मचारी अपने घोटाले को बचाने को लेकर हर किसी को लपेटते नजर आ रहे हैं।

अयोध्या में भव्य रामनवमी समारोह की तैयारी पूरी

भक्तों को 18 घंटे मिलेंगे रामलला के दर्शन

अयोध्या। रामनवमी का त्योहार छह अप्रैल को देश भर में मनाया जाएगा। राम नवमी को लेकर खास तैयारियां उत्तर प्रदेश के अयोध्या में की जा रही है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं की गई है। श्रद्धालुओं को राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के दौरान सहज अनुभव हो ये सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। राम नवमी के मौके पर रामलला 18 घंटे तक भक्तों को दर्शन (देवता की एक झलक पाने के लिए) देंगे।

माना जा रहा है कि राम नवमी के मौके पर रामलला के दर्शन करने 20 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव कर चटाई बिछाई जाएगी, साथ अस्थायी शिविर स्थापित किए जाएंगे और 243 स्थानों पर पीने के पानी की सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या नगर निगम ने भी समारोह को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं और शहर भर में स्वच्छता और सफाई की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मशीनरी से लैस एक समर्पित टीम तैनात की है।

नीट से छूट देने से केंद्र का इनकार

अब एमके स्टालिन ने सभी विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 9 अप्रैल की शाम को सचिवालय में सभी विधायकों की एक परामर्श बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार द्वारा छात्रों को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से छूट देने की राज्य की याचिका को खारिज किए जाने के बाद यह बैठक बुलाई गई है। एक विस्तृत बयान में स्टालिन ने दोहराया कि राज्य की दशकों पुरानी मेडिकल प्रवेश प्रणाली ने देश के कुछ बेहतरीन डॉक्टरों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टालिन ने कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत के साथ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए चिकित्सा की पढ़ाई करने का सपना असंभव हो गया है, क्योंकि उनके पास कोचिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। उन्होंने कहा कि एनईईटी शहरी छात्रों को असंगत रूप

से लाभ पहुंचाता है, जो महंगे कोचिंग सेंटरों का खर्च उठा सकते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस परीक्षा ने विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित उम्मीदवारों के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया है। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों की सामूहिक आवाज को दर्शाते हुए, राज्य सरकार ने एनईईटी के प्रभाव की गहन जांच करने के लिए न्यायमूर्ति एके राजन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति के निष्कर्षों के कारण तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद एक सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें राज्य की एनईईटी से छूट की मांग की पुष्टि की गई।

हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को कैसे कुचल सकते हैं?

वक्फ बिल को लेकर केंद्र पर बरसे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर विपक्ष द्वारा कड़ी आपत्ति जताए जाने के बीच, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शुक्रवार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर मुसलमानों की धार्मिक

स्वतंत्रता को बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने मदरसों को बंद करने पर प्रकाश डालते हुए पसमांदा मुसलमानों के लिए सरकार की चिंता पर सवाल उठाया, जहां उन्होंने कहा कि गरीब बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। मसूद ने एएनआई से कहा कि समानता के अधिकार को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को कैसे कुचल सकते हैं? आप पसमांदा, गरीब मुसलमानों की बात करते हैं... लेकिन आप मदरसे बंद कर रहे हैं। मदरसे में कौन पढ़ता है? सिर्फ गरीब बच्चे। उन्होंने केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया। मसूद ने कहा कि समानता का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है और संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या आप सिर्फ इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता के हमारे अधिकार को छीन लेंगे क्योंकि आपके पास बहुमत है? कांग्रेस सांसद ने कहा कि बहुमत होने का मतलब यह नहीं है कि आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचल सकते हैं। चूंकि आपके पास संविधान को बदलने का अधिकार नहीं है, इसलिए आप इसे आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बीच, भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने संसद द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पारित करने के 'बड़े सुधार' की सराहना करते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों को एक पोर्टल में पंजीकृत नहीं किया जाएगा जिसे जल्द ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमानों के लिए संपत्तियों पर विश्वविद्यालय और अस्पताल खोलने में विफल रहा। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों के बजाय केवल कुछ ही लोग इसका लाभ उठाने में कामयाब रहे हैं।

चुनावों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाएंगे...

कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद से होगी डीके शिवकुमार की छुट्टी?

बेंगलुरु। कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर रस्साकशी शुरू हो गई है। केएन राजन्ना, सतीश जारकीहोली और एमबी पाटिल जैसे मंत्रियों के एक ग्रुप दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और पार्टी हाईकमान से उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष के रूप में बदलने का आग्रह कर रहे हैं। उनका तर्क सीधा है। शिवकुमार, जो पहले से ही उपमुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण पद को संभाल रहे हैं, पार्टी के आगामी स्थानीय निकाय और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) चुनावों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाएंगे।

हालांकि, दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। पार्टी के पास सिर्फ तीन राज्यों में सत्ता है, इसलिए हाईकमान कर्नाटक को सिर्फ एक गढ़ के तौर पर नहीं बल्कि गारंटी योजनाओं की बदौलत शासन की सफलता के प्रतीक के तौर पर भी देखता है। वरिष्ठ नेताओं को डर है कि इस समय कोई भी बदलाव गलत संकेत दे सकता है और पार्टी ने दूसरे राज्यों में जो गति पकड़ी है, उसे बिगाड़ सकता है। संगठन के भीतर शिवकुमार की बढ़ती मौजूदगी का सवाल भी है। उन्होंने न केवल कर्नाटक में 2019 के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी को पुनर्जीवित करने में मदद की है, बल्कि तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में नाजुक बदलावों को संभालने के लिए नेतृत्व द्वारा उन पर भरोसा भी किया गया है। उन्हें बदलने से न केवल कर्नाटक में आंतरिक कलह शुरू हो सकती है— बल्कि इसका असर पार्टी के राष्ट्रीय ढांचे पर भी पड़ सकता है। शिवकुमार ने खुद कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वे बदलाव का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उनके समर्थकों ने इस बात पर संदेह जताया है कि उनकी जगह कौन प्रभावी रूप से ले सकता है। सिद्धारमैया खेमे के पसंदीदा पूर्व राज्य कांग्रेस प्रमुख दिनेश गुंडू राव का नाम सामने आया है, लेकिन कई लोगों को याद है कि 2019 में उनके नेतृत्व में पार्टी लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी।

वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में उठापटक

5 नेताओं का इस्तीफा, संजय झा बोले– जो पार्टी छोड़ रहे उन्हें हम भी नहीं जानते

पटना। जेडी(यू) के एक अन्य नेता नदीम अख्तर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वह वक्फ संशोधन विधेयक को पार्टी द्वारा समर्थन दिए जाने के कारण पार्टी छोड़ने वाले पांचवें सदस्य बन गए हैं। उनके इस्तीफे के बाद जेडी(यू) नेता राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी अलीग, मोहम्मद शाहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी सहित चार अन्य नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले जेडी(यू) नेता राजू नैयर ने अपने इस्तीफे में लिखा था, वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने और उसका समर्थन किए जाने के बाद मैं जेडी(यू) से इस्तीफा

देता हूं। वहीं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का इस पर बड़ा बयान आया है। संजय झा ने कहा कि जिन मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल के विरोध में जदयू से इस्तीफा देने का ऐलान किया है, उन्हें वह खुद नहीं जानते। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन को दूर करने के लिए लाया गया था। बिहार में हुई जाति जनगणना में पसमांदा मुसलमान, अंसारी, मंसूरी समुदाय शामिल हैं और इस बिल से उन्हें लाभ होगा क्योंकि उनके प्रतिनिधि भी इस बोर्ड में होंगे। वक्फ के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए ऐसा किया गया है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि जिस नेता ने पार्टी (जेडीयू) से इस्तीफा दे दिया है, उसने पतंग (एआईएमआईएम) के चुनाव चिन्ह पर ढाका (बिहार) से 2020 का चुनाव लड़ा और 499 वोट हासिल किए। ऐसे में भारी नेता कहां। आरजेडी को लालू यादव के 2010 के भाषण पर बोलना चाहिए, जहां उन्होंने कहा था कि उन्होंने (वक्फ) उनके बंगले के पास की जमीन सहित सब कुछ लूट लिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने भाजपा के सहयोगी दलों और सांसदों समेत सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों से वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने का आग्रह किया था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संबोधित एक पत्र में तबरेज सिद्दीकी अलीग ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के विश्वास को तोड़ दिया है। मोहम्मद कासिम अंसारी ने कहा कि वे इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक पर पार्टी के रुख ने लाखों मुसलमानों को गहरी ठेस पहुंचाई है।

यूएस टैरिफ: विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन

कांग्रेस बोली, यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा हमला

नई दिल्ली। भारत पर अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि देखिए अब क्या हुआ है। अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगा दिया है। (भारत और अमेरिका के बीच) दोस्ती थी, लेकिन देखिए अब क्या हुआ है। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा, प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए और टैरिफ के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कल भी हमने सदन में इस मुद्दे को उठाया था। विपक्ष के नेता ने भी इसे उठाया था। यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत

बड़ा हमला होगा। हम इस पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन सरकार संसद बंद करके भाग रही है। वित्त मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 26 प्रतिशत जवाबी शुल्क (टैरिफ) लगाये जाने का मुद्दा बृहस्पतिवार को लोकसभा में उठाया और सरकार से सवाल किया कि इसे लेकर वह क्या करने जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सदन में शून्यकाल के दौरान, चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का दावा करते हुए यह भी कहा कि इस पड़ोसी देश के साथ संबंध सामान्य होने चाहिए, लेकिन उससे पहले सीमा पर पूर्व की स्थिति बहाल होनी चाहिए और भारत की भूमि लौटाई जानी चाहिए। राहुल ने कहा, "हमारे साझेदार देश (अमेरिका) ने 26 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है जो हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा, हमारा ऑटो उद्योग, दवा उद्योग और कृषि सभी कतार में हैं।" उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि वह क्या करने जा रही है।

डीएम से मिले अखबारों के प्रतिनिधि, बगैर भेदभाव विज्ञापन जारी करने की मांग

अधिकारियों को गुमराह कर विज्ञापन प्राप्त कर रहे हैं अखबार, डीएम से मिले पत्रकार

समाचार पत्र एवं पत्रकार एसोसिएशन

दैनिक बुद्ध का संदेश

बस्ती, 04 अप्रैल। ग्राम पंचायतों के टेण्डर एवं निविदा प्रकाशन को लेकर अखबारों के प्रति बरती जा रही उदासीनता को लेकर पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिला। समाचार पत्र एवं पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अरुणेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में डीएम से मिलने पहुंचे पत्रकारों ने बगैर किसी भेदभाव के डीएवीपी से मान्यता प्राप्त अखबारों को टेण्डर व निविदा प्रकाशन हेतु जारी करने की मांग किया। दरअसल बस्ती जनपद में बीडीओ और सचिव को पूर्व में एक पत्र जारी कर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। इस सूची के आधार पर ग्राम पंचायतों का टेंडर निविदा का प्रकाशन सिर्फ 12 समाचार पत्रों में किया जा रहा है। वर्तमान में अखबारों की संख्या बढ़ गई है। जनपद में क्षेत्रीय समाचार पत्र भी आते हैं। जिनके यहाँ पर जिले से मान्यता प्राप्त संवाददाता और गैर मान्यता प्राप्त संवाददाता हैं। उन्हें बीडीओ और सचिव द्वारा टेन्डर निविदा देने में हीलाहवाली की जाती है या यूं कहें नहीं दी जाती है। पत्रकारों ने डीएम से मांग किया कि इस पुराने पत्र को खारिज करायें ताकि इस पुराने पत्र को दिखा कर बीडीओ या सचिव को गुमराह न किया जा सके और निष्पक्ष ढंग से इन 12 समाचार पत्रों के अलावा जनपद और क्षेत्रीय समाचार पत्रों को भी टेन्डर/निविदा प्रकाशित करने को मिल सके। डीएम से मिलने वालों में अमर सोनी, दिनेश कुमार पाण्डेय, बृजेश शुक्ला, लवकुश यादव, सन्तोष श्रीवास्तव, रमेश मिश्रा, आलोक कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव, अनिल कुमार पाण्डेय मौजूद रहे।

आदर्श शिशु विद्यालय के छात्र प्रज्ज्वल उपाध्याय का नवोदय विद्यालय में हुआ चयन

दैनिक बुद्ध का संदेश

बर्डपुर। आदर्श शिशु विद्यालय के छात्र प्रज्ज्वल उपाध्याय पुत्र

एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय ने नवोदय विद्यालय की कक्षा छठ में प्रवेश को लेकर आयोजित हुई प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। जिससे अब उनका दाखिला नवोदय विद्यालय में हो सकेगा। इसको लेकर प्रज्ज्वल के शिक्षकों ने बताया कि प्रज्ज्वल शुरू से ही पढ़ने में काफी तेज है। शिक्षकों के गहन अध्यापन एवं प्रज्ज्वल की कठिन मेहनत से यह संभव हो पाया है। प्रज्ज्वल के नवोदय में चयन होने से उनके विद्यालय की प्रधानाचार्या राजकुमारी पाण्डेय, विद्यालय के संचालक नितेश पाण्डेय इत्यादि ने मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और उसे उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं उनके बाबा राम शंकर उपाध्याय, सहित उमेश यादव,पत्रकार अनूप श्रीवास्तव, विनय कुमार वर्मा, संतोष यादव बृजेन्द्र वशिष्ठ, संदीप राय, रुचि उपाध्याय महिमा पाण्डेय अनु जायसवाल सरिता जायसवाल आदि ने खुशी व्यक्त करते हुए बधाई दिया है।

वरिष्ठ प्रवक्ता शिव कुमार पान्डेजी बने पीपुल्स इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर/डुमरियागंज कस्बा स्थित पीपुल्स इंटर कॉलेज के वरिष्ठ प्रवक्ता शिव कुमार पान्डेय जी को प्रधानाचार्य बनाया गया है कस्बा डुमरियागंज स्थित पीपुल्स इंटर कॉलेज के भूगोल के वरिष्ठ प्रवक्ता शिव कुमार पान्डेजी को विद्यालय का प्रधानाचार्य बनाया गया है। पूर्व प्रधानाचार्य चिंता राम चौधरीजी के सेवानिवृत होने पर उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर नवनियुक्त प्रधानाचार्य ने कहा कि जो धरोहर उन्हें मिली है उसे वह कायम रखते हुए आगे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस मौके पर सभी शिक्षकों ने माल्यार्पण कर मुंह मीठा कराकर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर भारी संख्या में विद्यालय के स्टाफ मौजूद रहे।

एसक्यू पब्लिक स्कूल पर अंक पत्र वितरण समारोह का आयोजन

दैनिक बुद्ध का संदेश

बर्डपुर। नगर पंचायत कपिलवस्तु के बर्डपुर नम्बर 3 महदेइया स्थित एसक्यू पब्लिक स्कूल पर अंक पत्र वितरण समारोह का आयोजन कर विद्यार्थियों को अंक पत्र वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। जिसमें नर्सरी में सृष्टि कसौधन, एलकेजी में मीजा सदफ, यूकेजी में कशफ, कक्षा 1 में मोहम्मद सादिक, कक्षा 2 में शिवांगी, कक्षा 3 में फलक, कक्षा 4 में प्रियांशु कसौधन, कक्षा 5 में तूबा अम्बरी ने प्रथम स्थान प्राप्त कर प्राप्त किया है। उक्त सभी बच्चों को मुख्य अतिथि राकेश मिश्रा ने अंक पत्र देकर प्रोत्साहित किया। राकेश मिश्रा ने कहा कि बच्चों ने पूरे वर्ष की जो पढ़ाई की है उसका ये परिणाम है। बच्चे सदैव पढ़ लिख कर आगे बढ़े, अपने परिजनों, गांव, घर, स्कूल क्षेत्र का नाम रोशन करें।

ग्राम मैथवलिया में मां कालेश्वरी देवी मंदिर पर नवनिर्मित दुर्गा मंदिर में हुआ प्राण प्रतिष्ठा

दैनिक बुद्ध का संदेश

बांसी। बांसी विधानसभा के खेसरहा मंडल में ग्राम मैथवलिया में मां कालेश्वरी देवी

मंदिर पर नवनिर्मित दुर्गा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री एवं सिद्धार्थ नगर के जिला प्रभारी मंत्री अनिल राजभर, विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक एवं अभिभावक आदरणीय राजा जय प्रताप सिंह जी रहे। इस अवसर पर पधारे बगल के विधान सभा मेंहदावल के लोकप्रिय विधायक अनिल त्रिपाठी एवं पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री इटवा विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय सतीश द्विवेदी छोटे राजा जनय प्रताप सिंह,जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान,जिला प्रभारी हरिचरण कुशवाहा,पूर्व जिला अध्यक्ष राम कुमार कुंवर, लाल बाबा त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष दिवाकर मिश्र, जिला महामंत्री विपिन सिंह,कार्यक्रम के आयोजक– प्रभाकर राय, अर्जुन राजभर ने सभी अतिथियों को अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर के सम्मानित किया तथा कार्यक्रम में आने के लिए सबका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर स्वागत करने वालों में कौशलेंद्र राय ,आदर्श राय ,अशोक राय ,जगदीश राजभर, नागेंद्र राय, शैलेंद्र राय, रजत राय, अतुल राय, हरकेश राजभर, शिवम् राजभर, नित्यानंद पांडे, प्रमुख यादव, शिवाम कुमार, संदीप पांडे, चंदन पांडे, शिव स्नेही गौंड, दीपू यादव,दीपक राज पांडे ,श्याम कुमार मिश्र, मनीष शर्मा, साधना यादव, असरेश राय, अंगद यादव, क्षेत्रीय जनता जनार्दन आदि उपस्थित रहे।

कार्यालय : ग्रा.पं.– हरैया द्वितीय, वि.खं.– मिठवल, जनपद– सिद्धार्थनगर

पत्रांक मेमो/निविदा/सामग्री/2025–26

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **हरैया द्वितीय** विकास खण्ड– **मिठवल** महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/पंचम वित्त/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत तथा कराए जाने वाले वा कार्य जैसे– एमडीएम शेड, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी सेंटर सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम आदि के लिये इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 12/04/2025 प्रातः 10.00 बजे तक समय आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा वांछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डाली जाएगी। निविदा उसी दिन अपराह्न 12.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर राशि रु–5000.00 (पांच हजार) होगी।

नियम व शर्त :– 1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जाएगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह कर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जाएगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के समिति में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाए वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य चार्ज जोड़कर प्रस्तुत की जाए। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्रामपंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जाएगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ायी जा सकती है। 8. प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। 9. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 10. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 11. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 12. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मानक के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. धरोहर की धनराशि नगद राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडी एवं एनएससी/ड्राफ्ट बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **हरैया द्वितीय** के नाम बंधक से सम्पन्न करना अनिवार्य है। 14. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 15. निविदा फार्म ग्राम पंचायत **हरैया द्वितीय** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 रुपया है पर स्वीकार की जायेगी। 16. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **हरैया द्वितीय** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामप्रधान– रामसागर
ग्रामपंचायत– हरैया द्वितीय,
वि०ख०– मिठवल, सिद्धार्थनगर

सचिव/ग्रा.वि.अ.– रवि कपूर
ग्रामपंचायत– हरैया द्वितीय,
वि०ख०– मिठवल, सिद्धार्थनगर

कार्यालय : ग्रा.पं.– कपिया मिसिर, वि.खं.– नौगढ़, जनपद– सिद्धार्थनगर

पत्रांक मेमो/निविदा/सामग्री/2025–26

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **कपिया मिश्र** विकास खण्ड– **नौगढ़** महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/पंचम वित्त/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत तथा कराए जाने वाले वा कार्य जैसे– एमडीएम शेड, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी सेंटर सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम आदि के लिये इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 12/04/2025 प्रातः 10.00 बजे तक समय आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा वांछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डाली जाएगी। निविदा उसी दिन अपराह्न 12.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर राशि रु–5000.00 (पांच हजार) होगी।

नियम व शर्त :– 1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जाएगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह कर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जाएगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के समिति में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाए वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य चार्ज जोड़कर प्रस्तुत की जाए। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्रामपंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जाएगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ायी जा सकती है। 8. प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। 9. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 10. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 11. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 12. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मानक के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. धरोहर की धनराशि नगद राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडी एवं एनएससी/ड्राफ्ट बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **कपिया मिश्र** के नाम बंधक से सम्पन्न करना अनिवार्य है। 14. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 15. निविदा फार्म ग्राम पंचायत **कपिया मिश्र** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 रुपया है पर स्वीकार की जायेगी। 16. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **कपिया मिश्र** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामप्रधान– श्रीमती सुशीला देवी
ग्रामपंचायत– कपिया मिश्र,
वि०ख०– नौगढ़, सिद्धार्थनगर

सचिव/ग्रा.वि.अ.– स्वप्निल श्रीवास्तव
ग्रामपंचायत– कपिया मिश्र,
वि०ख०– नौगढ़, सिद्धार्थनगर

कार्यालय : ग्रा.पं.– रोहुडिला, वि.खं.– नौगढ़, जनपद– सिद्धार्थनगर

पत्रांक मेमो/निविदा/सामग्री/2025–26

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **रोहुडिला** विकास खण्ड– नौगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/पंचम वित्त/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत तथा कराए जाने वाले वा कार्य जैसे– एमडीएम शेड, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी सेंटर सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम आदि के लिये इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 22/04/2025 प्रातः 10.00 बजे तक समय आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा वांछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डाली जाएगी। निविदा उसी दिन अपराह्न 12.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर राशि रु–5000.00 (पांच हजार) होगी।

नियम व शर्त :– 1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जाएगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह कर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जाएगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के समिति में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाए वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य चार्ज जोड़कर प्रस्तुत की जाए। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्रामपंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जाएगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ायी जा सकती है। 8. प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। 9. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 10. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 11. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 12. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मानक के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. धरोहर की धनराशि नगद राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडी एवं एनएससी/ड्राफ्ट बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **रोहुडिला** के नाम बंधक से सम्पन्न करना अनिवार्य है। 14. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 15. निविदा फार्म ग्राम पंचायत **रोहुडिला** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 रुपया है पर स्वीकार की जायेगी। 16. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **रोहुडिला** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामप्रधान– वृजनाथ यादव
ग्रामपंचायत– रोहुडिला,
वि०ख०– नौगढ़, सिद्धार्थनगर

सचिव/ग्रा.वि.अ.– अभिनव ओझा
ग्रामपंचायत– रोहुडिला,
वि०ख०– नौगढ़, सिद्धार्थनगर

कार्यालय : ग्रा.पं.– मर्हुई, वि.खं.– करमा, जनपद– सोनभद्र

पत्रांक मेमो/निविदा/सामग्री/2025–26

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मर्हुई में वित्तीय वर्ष 2025–2026 में मनरेगा/पंचम/राज्य वित्त आयोग/पन्द्रहवां वित्त आयोग/एस०बी०एम०डब्लू०एम०/एस०बी०एम०–2 अन्य प्राप्त निधियों द्वारा ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले कार्यों हेतु वाणिज्यकर/आयकर में पंजीकृत फर्मों से ग्राम पंचायत समिति के अन्दर निम्न विवरणानुसार कार्यस्थल पर सामग्री आपूर्ति कराये जाने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता अपने फर्म के लेटर पैड पर दिनांक 10.04.2025 से दिनांक 16.04.2025 तक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ग्राम प्रधान/सचिव कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते हैं। जिसे दिनांक– 17.04.2025 को 02 बजे समिति (टेण्डरदाताओं) जो उपस्थित रहना चाहते हैं के समक्ष खोला जायेगा।

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	दर
1.	ईंट प्रथम/ईंट प्रथम श्रेणी 180 गाड़ी व एफ०ए०सी०/ईंट व गिट्टी 20mm, 40mm	प्रति हजार घन मीटर	----
2.	इन्टरलाकिंग ईंट प्रथम श्रेणी 200x160x60mm/सीमेन्टेड इन्टर/सब सोल्ड, टाईल्स, ईंट आदि	प्रति हजार	----
3.	बालू मोरम, सीमेंट, छर्रा गिट्टी/स्टोन ब्लास्ट, मसाली 22.4mm (अछरा–बछरा) एवं बोल्डर आदि	प्रति घन मीटर बैग	----
4.	सरिया/एम्बेस्टस शीट/गैल्वनाइज पाइप/सीट/शौचालय/शौचालय इनलेट/कमोड/टीन सीट/दरवाजे/खिड़की/टाइल्स/प्लास्टिक/पेन्ट/सीट पेंट/डिस्टेम्पर/पाइप, फाउण्ड आदि पीवीसी, ड्रेन पाइप एन०एच०एस०पी०बी०/	कुन्तल/अदद	----
5.	ह्यूम पाइप 600/900 एन०एस० 300/ एन०पी० बैं–2 आदि	प्रति अदद	----
6.	स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट बल्ब, तार, सी०एफ०एल० बल्ब आदि	प्रति नग	----
7.	इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प संबंधित सामग्री आदि एवं पानी की टंकी पानी टैंकर, सबमर्सिबल पाइप आदि।	अदद	----
8.	सोख्ता गड्ढ हेतु डालिंग, एक्सेल आदि	प्रति कुन्तल	----
9.	मैनहोल ब्लाक ईंट आदि	प्रति नाग	----
10.	टेन्ट माइक ई–रिक्शा, पेन्टिंग सामग्री, स्टेशनरी सीट, लोहा पत्र आदि	----	----

प्रतिबन्ध एवं शर्तें– 1. निविदा में दरें सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2. कार्य विवरण एवं सामग्री सम्बन्धित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है, सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरान्त की जायेगी। 3. जमानत राशि परियोजना का 5 प्रतिशत जमा होगी जिसे कार्य पूर्ण होने पर वापस किया जायेगा। खराब सामग्री की दशा में जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। 5. बिना कारण बताये किसी भी समय निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। 6. अनुबन्ध स्वीकृत होने के पश्चात् दर संशोधित होने तक अथवा एक माह के अंदर आपूर्ति करना अनिवार्य है।

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत– मर्हुई,
विकास खण्ड– करमा, सोनभद्र

सचिव/ग्रा.वि.अ.
ग्राम पंचायत– मर्हुई,
विकास खण्ड– करमा, सोनभद्र

कार्यालय : ग्रा.पं.– कम्हरिया, वि.खं.– करमा, जनपद– सोनभद्र

पत्रांक मेमो/निविदा/सामग्री/2025–26

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कम्हरिया में वित्तीय वर्ष 2025–2026 में मनरेगा/पंचम/राज्य वित्त आयोग/पन्द्रहवां वित्त आयोग/एस०बी०एम०डब्लू०एम०/एस०बी०एम०–2 अन्य प्राप्त निधियों द्वारा ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले कार्यों हेतु वाणिज्यकर/आयकर में पंजीकृत फर्मों से ग्राम पंचायत समिति के अन्दर निम्न विवरणानुसार कार्यस्थल पर सामग्री आपूर्ति कराये जाने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता अपने फर्म के लेटर पैड पर दिनांक 10.04.2025 से दिनांक 16.04.2025 तक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ग्राम प्रधान/सचिव कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते हैं। जिसे दिनांक– 17.04.2025 को 02 बजे समिति (टेण्डरदाताओं) जो उपस्थित रहना चाहते हैं के समक्ष खोला जायेगा। निविदा शुल्क 500/–नगद जमा करना अनिवार्य है।

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	दर
1.	ईंट प्रथम/ईंट प्रथम श्रेणी 180 गाड़ी व एफ०ए०सी०/ईंट व गिट्टी 20mm, 40mm	प्रति हजार घन मीटर	----
2.	इन्टरलाकिंग ईंट प्रथम श्रेणी 200x160x60mm/सीमेन्टेड इन्टर/सब सोल्ड, टाईल्स, ईंट आदि	प्रति हजार	----
3.	बालू मोरम, सीमेंट, छर्रा गिट्टी/स्टोन ब्लास्ट, मसाली 22.4mm (अछरा–बछरा) एवं बोल्डर आदि	प्रति घन मीटर बैग	----
4.	सरिया/एम्बेस्टस शीट/गैल्वनाइज पाइप/सीट/शौचालय/शौचालय इनलेट/कमोड/टीन सीट/दरवाजे/खिड़की/टाइल्स/प्लास्टिक/पेन्ट/सीट पेंट/डिस्टेम्पर/पाइप, फाउण्ड आदि पीवीसी, ड्रेन पाइप एन०एच०एस०पी०बी०/	कुन्तल/अदद	----
5.	ह्यूम पाइप 600/900 एन०एस० 300/ एन०पी० बैं–2 आदि	प्रति अदद	----
6.	स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट बल्ब, तार, सी०एफ०एल० बल्ब आदि	प्रति नग	----
7.	इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प संबंधित सामग्री आदि एवं पानी की टंकी पानी टैंकर, सबमर्सिबल पाइप आदि।	अदद	----
8.	सोख्ता गड्ढ हेतु डालिंग, एक्सेल आदि	प्रति कुन्तल	----
9.	मैनहोल ब्लाक ईंट आदि	प्रति नाग	----
10.	टेन्ट माइक ई–रिक्शा, पेन्टिंग सामग्री, स्टेशनरी सीट, लोहा पत्र आदि	----	----

प्रतिबन्ध एवं शर्तें– 1. निविदा में दरें सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2. कार्य विवरण एवं सामग्री सम्बन्धित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है, सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरान्त की जायेगी। 3. जमानत राशि परियोजना का 5 प्रतिशत जमा होगी जिसे कार्य पूर्ण होने पर वापस किया जायेगा। खराब सामग्री की दशा में जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। 5. बिना कारण बताये किसी भी समय निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। 6. अनुबन्ध स्वीकृत होने के पश्चात् दर संशोधित होने तक अथवा एक माह के अंदर आपूर्ति करना अनिवार्य है।

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत– कम्हरिया,
विकास खण्ड– करमा, सोनभद्र

सचिव/ग्रा.वि.अ.
ग्राम पंचायत– कम्हरिया,
विकास खण्ड– करमा, सोनभद्र

गुरू गोरक्षनाथ ज्ञान स्थली का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन,शिक्षा के लिए चारो तरफ से रास्ता खुला छोड

दैनिक बुद्ध का संदेश

भारतभारी/सिद्धार्थनगर। मुख्यमंत्री उ0प्र0 योगी आदित्यनाथ ने जनपद के गुरु गोरक्षनाथ ज्ञान स्थली, वृन्दावन, नगर पंचायत भारतभारी के शिलापट का अनावरण किया गया। साथ ही गुरु गोरक्षनाथ ज्ञान स्थली, वृन्दावन, नगर पंचायत भारतभारी भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया गया तथा गुरु गोरक्षनाथ की मूर्ति का अनावरण किया गया। पूर्व विधायक डुमरियागंज राघवेन्द्र प्रताप सिंह एवं विद्यालय परिवार द्वारा मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री उ0प्र0 योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया को करूणा और अहिंसा का सन्देश देने वाले राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर इस जनपद का नाम सिद्धार्थनगर पड़ा। मै इस धरती को कोटि–कोटि प्रणाम करता हूँ। आज बसन्तीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। आज मां काली की आराधना होती है। आज इस ज्ञान स्थली का लोकार्पण हो रहा है। इसके लिए मै सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भारत की परम्परा में शिक्षा के लिए चारो तरफ से रास्ता खुला छोड़े। ज्ञान ही जीवन में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन के आलौकिक होने का स्वागत करना चाहिए। जीवन में किसी को ज्ञानवान बनाने से अच्छा कुछ नही है। कई वर्षो बाद मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 2008 से पहले यहां बहुत चुनौतियां थी। चारो तरफ असुरक्षा का वातावरण था। शिक्षा के लिए जितना भी किया जाये कम है। शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय व्यर्थ नहीं होता है। पिछले 10 वर्षो में आप लोगो ने भारत को बदलते देखा है। आज नया भारत है। एक भारत है श्रेष्ठ भारत है। आज भारत किसी का पिछलग्गू नही है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। विरासत और पहचान के रूप में देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे है। अयोध्या में श्रीराम मन्दिर का भव्य निर्माण हो रहा है। प्रयागराज में 66 करोड़ लोगो ने कुम्भ में स्नान किया है। यह भारत की सामर्थ्य को प्रस्तुत करते है। अपने सौहार्द की ताकत का एहसास कराते हैं। भारत की संस्कृति में किसी पर बल पूर्वक अधिकार करना नही है। श्री राम ने रावण का बध कर वहां विभीषण का राज्याभिषेक किया। बालि का बध कर सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। किसी भी कालखण्ड में तलवार के बल पर किसी पर शासन नही किया है। राजकुमार सिद्धार्थ ने बचपन का समय इसी धरती पर व्यतीत किया। ज्ञान प्राप्त होने के बाद कुछ समय लुम्बिनी में रहे। बौद्ध धर्म को मानने वाले दुनिया के बहुत से बड़े–बड़े देश है। बुद्ध ने तलवार के बल पर नहीं अपितु अपनी शिक्षा के बल पर उन्हें अपना अनुयायी बनाया। ज्ञान की परम्परा को जानने के लिए हम सभी को वेदों और उपनिषदों को देखना चाहिए। उस पर काम करने की आवश्यकता है। जब पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था उस समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2020 नई शिक्षा नीति लागू की गयी। आज अभ्युदय योजना के अन्तर्गत निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। अटल आवासीय विद्यालय की शुरूआत की गई है। प्रदेश में 17 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को भी अपग्रेड किया गया है। गुरु गोरक्षनाथ ज्ञान स्थली, वृन्दावन, नगर पंचायत भारतभारी में भी 150 छात्र/छात्राओं द्वारा नये सत्र के लिए पंजीकरण कराया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर प्रो0 कविता शाह ने गुरु गोरक्षनाथ ज्ञान स्थली, वृन्दावन, नगर पंचायत भारतभारी के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि आज मुख्यमंत्री उ0प्र0 योगी आदित्यनाथ मंच पर है, जिन्होने पूरे उ0प्र0 की दिशा और दशा बदली है। शिक्षा के जगत में सिद्धार्थ विश्व विद्यालय ऐसे स्थान पर स्थित है। एक राष्ट्र, समाज और परिवार का विकास बिना शिक्षा के सम्भव नही है। सिद्धार्थ विश्व विद्यालय अपने लक्ष्य को प्राप्त अवश्य प्राप्त करेगा। मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय/जनपद प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित हूं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री द्वारा 01.04.2025 को जनपद बरेली में अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया गया है। इस विद्यालय में मजदूरों, गरीबों के बच्चे पढ़ेगे। मुख्यमंत्री द्वारा परिषदीय विद्यालयों में कायाकल्प योजना चलाकर विद्यालयों में काम किया गया है। इन विद्यालयों में मजदूर एवं गरीब का बेटा पढ़ता है। आज विद्यालयों में पंखा, कूलर लगा है, बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था है। परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास भी चल रहा है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि सभी को शिक्षा मिले। मंत्री ने कहा कि मैं सभी की तरफ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। पूर्व विधायक डुमरियागंज राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि आज मेरे पास शब्द नही है, मैने पिछले महीने ही मुख्यमंत्री अनुरोध किया कि आप को विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए आना है। मुख्यमंत्री मेरे अनुरोध को स्वीकार कर समय दिया। मै सभी की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। 1994 से मै आपके सानिध्य में ही सब सीखा है। मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि सिद्धार्थनगर में गुरु गोरक्षनाथ के नाम से विद्यालय खुले। मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री आप इस विद्यालय के मुख्य संरक्षक होना स्वीकार करें। राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि यहां पर जो भी विद्यालय थे अपनी संस्कृति के नही थे। इस अवसर पर उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व विधायक इटवा डा0 सतीश द्विवेदी, जिला प्रभारी हरिचरण कुशवाहा, अपर पुलिस महा निदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर डा0 के0एस0 प्रताप कुमार, आयुक्त बस्ती मण्डल बस्ती अखिलेश कुमार सिंह, डीआईजी दिनेश कुमार पी, जिलाधिकारी डॉ0 राजा गणपति आर0, पुलिस अधीक्षक डॉ0 अभिषेक महाजन अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गौरव श्रीवास्तव, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, दूर–दराज से आयी जनता तथा स्कूली बच्चो आदि की उपस्थिति रही।

लीलावती देवी महिला पी जी कॉलेज में महिला सशक्तिकरण संगोष्ठी का आयोजन

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। लीलावती देवी महिला पी जी कॉलेज पेंढारी बुजुर्ग सिद्धार्थनगर में मिशनशक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण में डॉ बी आर अंबेडकर का योगदान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें रतन सेन डिग्री कॉलेज बांसी सिद्धार्थ नगर संस्कृत विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. किरन देवी ने छात्राओं को विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा की आज बाबा साहब के संविधान ने हम सभी को पढ़ने लिखने बोलने का अधिकार दिया है जिससे छात्राएं उच्चशिक्षा के क्षेत्र में भी अपना कैरियर बना सके साथ ही साथ कैरियर काउंसलिंग एवं संवाद के अंतर्गत छात्राओं के मन में उत्पन्न जिज्ञासाओं को शांत करने का काम किया गया जिसमें बहुत सारी छात्राओं ने बढ़–चढ़कर अनेकों सवाल कैरियर को लेकर के किया जिसमें डॉ किरन देवी ने छात्राओं को उच्च शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में कैरियर बनाने हेतु मार्गदर्शन किया इसी क्रम में प्रबंधक डॉ वेद प्रकाश पाण्डेय ने कहा यह सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का एक मात्र महिला महाविद्यालय है जहाँ विगत 10 वर्षो में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह लीलावती देवी महिला महाविद्यालय एक कीर्तिमान स्थापित किया है ऐसे क्षेत्र में जहां पर दो–दो पीढ़िया शिक्षा से वंचित रही है ऐसे बच्चियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन कर सराहनीय कार्य किया जा रहा है उक्त कार्यक्रम में उपस्थित ओम प्रकाश पाण्डेय सर्वजीत पाण्डेय शिवम् मिश्रा सुजीत यादव आदि लोग उपस्थित रहे है।

शक्ति पीठ पल्टा देवी मंदिर में मणेंद्र मिश्रा मशाल ने किया फलाहार कार्यक्रम का आयोजन

.नेता विरोधी दल माता प्रसाद पाण्डेय ने श्रद्धालुओं में बांटा फलाहार

दैनिक बुद्ध का संदेश

शोहरतगढ़। शोहरतगढ़ विधानसभा में पांडवकालीन शक्ति पीठ पल्टा देवी मंदिर परिसर में चैत्र नवरात्रि सप्तमी के अवसर पर फलाहार कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणेंद्र मिश्रा मशाल ने किया। कार्यक्रम में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पाण्डेय ने श्रद्धालुओं को फलाहार/प्रसाद वितरण का प्रारंभ किया। मां भगवती के दर्शन उपरांत श्री पाण्डेय और आयोजक मणेंद्र मिश्रा ने पल्टा देवी मंदिर के महंथ सर्वश्री घनश्याम गिरी महाराज, महंथ दीनानाथ गिरी महाराज, चंदन गिरी, शम्भूनाथ गिरी को शाल सहित समस्त 37 मंदिर परिवार को खादी वस्त्र एवं फल भेंट किया। नेता विरोधी दल श्री पाण्डेय ने समस्त क्षेत्रवासियों के शांति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना किया। कार्यक्रम के आयोजक मणेंद्र मिश्रा मशाल ने सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि आदिशक्ति मां दुर्गा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें कार्यक्रम में सर्वश्री पूर्व विधायक अनिल सिंह,वरिष्ठ नेता मुरली धर मिश्रा,जिला सचिव हरिराम यादव, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी राघवेंद्र दुबे, अजय चौरसिया राष्ट्रीय सचिव छात्र सभा, नितिन तिवारी, सेक्टर प्रभारी सुनील यादव एवं अर्जुन यादव,सूरज भास्कर, संदीप साहनी सहित अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे।

अखिलेश यादव के गाय, गोबर और गौशाला के राजनितिक बयान से क्षुब्ध है यादव समाज:सुभाष यदुवंश

दैनिक बुद्ध का संदेश

शोहरतगढ़/सिद्धार्थनगर। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और विधान परिषद सदस्य सुभाष यदुवंश ने नई दिल्ली में गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की। सुभाष यदुवंश ने कहा की मोदी जी का शासन काल भारतीय इतिहास का वह सुनहरा पन्ना है जिसे पढ़कर देश की पीढ़ियां गर्व, साहस और प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। आज आपके और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में वक्फ बिल पास होने से सभी देशवासियों ने इसका स्वागत किया है। इस बिल के पास होने से पसमांदा समाज और कमजोर वर्ग के मुसलमान समाज को बहुत लाभ होगा। इसलिए समाज के सभी वर्गो द्वारा इसका स्वागत किया गया है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 के माध्यम से वर्षो से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत किया है और न्याय व समानता के युग की शुरूआत की है। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियाँ अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और न्यायसंगत होने वाली हैं। इससे निश्चित ही मुस्लिम समुदाय के गरीबों महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। ये बिल इतिहास के पन्नो में लिखा जाएगा। आज आपके कुशल नेतृत्व में सैकड़ों सालों से चले आ रहा नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर। अधिकांश नक्सलवादी आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में आ रहे सम्मलित हो रहे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बन रहा है। विश्व आज किसी भी समस्या के समाधान के लिए भारत देश से मदद की उम्मीद करती है स पूरे विश्व मे भारत देश मे डंका बज है। भारत देश विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। सुभाष यदुवंश ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास और उन्नति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जबकि विपक्षी दल आई.एन.डी.आई.ए (इंडिया) नाम से गठबंधन कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि नाम बदल लेने से नियत साफ नहीं हो जाती स लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, महाराष्ट्र चुनाव में प्रचंड विजय से ये तय होता है कि पूरा देश आज भी मोदी जी नीतियों और विकास से संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जनाधार खत्म हो चुका है उन्हें जनता के मुद्दों से नही सिर्फ परिवारवाद से मतलब है। उनकी नकारात्मक राजनीति प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। अखिलेश यादव ने बोला कि उन्होंने गाय गोबर और गौशाला से दुर्गंध आती है इससे संपूर्ण यादव समाज सनातन धर्म और पशुपालक समाज का ह्रदय बहुत मरमहत है अखिलेश यादव को तुरंत माफी मांगनी चाहिए।

परिषदीय विद्यालय तिवारीडीह में बच्चों में वितरित हुआ पाठ्यपुस्तक

दैनिक बुद्ध का संदेश

उसका बाजार। ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत स्थित परिषदीय विद्यालय तिवारीडीह में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामप्रधान मनोज साहनी ने बच्चों में निशुल्क पुस्तक का वितरण किया। उन्होंने कहा कि सत्र की शुरूआत से ही परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की हाथों में निश्शुल्क पाठ्यपुस्तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा की बहुत खुशी है कि इस बार सत्र शुरू होते ही बच्चों को पुस्तकें मिलनी लगीं। परिषदीय विद्यालयों में योग्य शिक्षक तैनात हैं। अभिभावकों को भी अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। बच्चों को नियमित विद्यालय भेजना चाहिए और घर पर भी शिक्षण कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। ग्राम प्रधान ने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे समाज में परिषदीय विद्यालयों के प्रति विश्वास बनाने के लिए सजग रहें। प्रधानाध्यापक हरिशंकर सिंह ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सभी अभिभावक बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन परिषदीय स्कूलों में कराएं। बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार कई तरह की योजना बनाकर कार्य कर रही है। इस अवसर पर बुद्धिराम, राम सेवक, राम शब्द, पिंटू दूबे, अनंत मिश्र आदि रहें।

महिला थाना ने 03 परिवार के मध्य सुलह समझौता कराकर परिवार को बिखरने से बचाया

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डा0 अभिषेक महाजन के निर्देश पर शुक्रवार को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केन्द्र/नई किरण (टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल कार्यक्रम) का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 05 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई। जिसमें परामर्श के बाद 03 पत्रावली का सफल निस्तारण कर 03 परिवार को बिखरने से बचाया गया व 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है। 03 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष शाइस्ता, उप निरीक्षक रामनारायण शुक्ला, महिला हेड कांस्टेबल सत्या त्रिपाठी, महिला हेड कांस्टेबल सविता सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं निस्तारित पत्रावली में खुशबू पत्नी दयाराम निवासी ग्राम रसूलपुर थाना बांसी, आरती पत्नी शैलेश निवासी ग्राम गोसाईंगंज थाना मोहना एवं आसिया पत्नी सेराज निवासी रेहरा बाजार सुभाष नगर थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर थी।

सम्पादकीय

यह विडंबना है कि नागपुर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने आरोपियों की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगायी थी, लेकिन जब तक आदेश पहुंचा तब तक स्थानीय प्रशासन कार्रवाई कर चुका था। वैसे हकीकत यह भी है कि कोई अवैध निर्माण रातोंरात खड़ा नहीं हो जाता। जब उसका निर्माण होता है तो स्थानीय प्रशासन ...

कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना चिंताजनक

यह पहली बार नहीं है कि देश की शीर्ष अदालत को कहना पड़ा कि कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई न्याय के नैसर्गिक नियमों का उल्लंघन है। लेकिन ऐसी बलपूर्वक की गई कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बुलडोजर की नाइंसाफी नजर आई। कोर्ट का कहना था कि यह बुलडोजरी अन्याय केवल झुग्गियों व मकानों को ही नहीं गिरा रहा है बल्कि यह कानून की उचित प्रक्रिया व अनुच्छेद 21 का भी अतिक्रमण है। जो हर नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। शीर्ष अदालत ने प्रयागराज में घरों को गिराए जाने को अमानवीय और अवैध बताते हुए शहरी विकास प्राधिकरण को प्रत्येक पीड़ित घर के मालिक को दस लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान घटी उस घटना को तंत्र की संवेदनहीनता बताया जिसमें बुलडोजर द्वारा झोपड़ी गिराए जाने पर एक बालिका अपनी किताबें पकड़कर भाग रही थी। अदालत का कहना था कि तसवीर देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। साथ ही अधिकारियों की मनमानी और असंवेदनशीलता को उजागर करती है। कहा गया कि अतिक्रमणकारियों को खुद की स्थिति को स्पष्ट करने का उचित अवसर दिए बिना बुलडोजर से उनके मकान या झोपड़ियों को ध्वस्त करना अन्याय जैसा ही है। जिससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रशासन का इरादा अनधिकृत निर्माण को हतोत्साहित करने के बजाय उन्हें सबक सिखाना लगता है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में शासन–प्रशासन कथित 'तत्काल न्याय' के बुलडोजर मॉडल को लागू करने में सबसे आगे रहा है। इस विवादास्पद कार्रवाई का बचाव करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि कभी–कभी कुछ लोगों को उनकी समझ में आने वाली भाषा में चीजों को समझाने की जरूरत होती है। जिसके मायने यह भी है कि ऐसे तत्वों को अदालतों द्वारा उन्हें दोषी या निर्दोष ठहराये जाने का इंतजार किए बिना ही दंडित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बीते साल नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर के लगातार इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिये कई दिशा–निर्देश दिए थे। इसमें मकान आदि के ध्वस्तीकरण से पंद्रह दिन पहले कब्जाधारियों को सचेत करना भी शामिल था। अदालत ने तो यहां तक चेतावनी दी थी कि निर्देशों का अतिक्रमण करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जमीनी हकीकत में बदलाव नहीं आया। इसमें दो राय नहीं कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के प्रति शून्य–सहिष्णुता का नजरिया जरूरी है। अवैध निर्माण हटाया जाना चाहिए, लेकिन सभी कायदे–कानूनों का पालन भी उतना ही जरूरी है। अदालत मानती रही है कि जल्दबाजी में बुलडोजर का इस्तेमाल असंवैधानिक है और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। जिसकी कानून इजाजत नहीं देता। प्रयागराज व महाराष्ट्र में कई जगह लोगों ने आरोप लगाया कि नोटिस देने के चौबीस घंटों में ही उनके मकान गिरा दिए गए। ऐसी ही कार्रवाई नागपुर हिंसा के बाद आरोपियों के घर गिराने में की गई। कहा गया कि लोगों को अपील करने का भी मौका नहीं दिया गया। वैसे यह नैसर्गिक न्याय की अवहेलना है कि एक कथित दोषी के कृत्यों की सजा उसके पूरे परिवार को दी जाती है। उस घर में उस व्यक्ति के परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं। यह विडंबना है कि नागपुर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने आरोपियों की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगायी थी, लेकिन जब तक आदेश पहुंचा तब तक स्थानीय प्रशासन कार्रवाई कर चुका था। वैसे हकीकत यह भी है कि कोई अवैध निर्माण रातोंरात खड़ा नहीं हो जाता। जब उसका निर्माण होता है तो स्थानीय प्रशासन की नजर उस पर क्यों नहीं जाती। एकाएक ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो जाती है कि उसे गिराने की तत्काल जरूरत पड़ती है। फिर तुरत–फुरत बुलडोजर चल जाता है। सवाल यह भी कि हर छोटे–बड़े राजनीतिक दल के प्रभावशाली नेताओं के अवैध निर्माण पर पीला पंजा क्यों नहीं चलता? निस्संदेह, बुलडोजर की गति राजाश्रय के संरक्षण में ही तेज होती है।

माता दुर्गा के सभी नौ स्वरूपों की जय बोलिए

प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्।। पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च। सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्।। नौवीं दुर्गा माता सिद्धिदात्री हैं। माता दुर्गा देवी सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करती हैं। उन माता दुर्गा देवी की अनंत महिमा है। उनके सभी नौ स्वरूप अत्यंत गौरवशाली हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायिनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री हैं। ये मां दुर्गा के नौ रूप अत्यंत चमत्कारी हैं। सभी देवी–देवता और ऋषि–मुनि महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होने लगे थे। तब भगवान शिव और भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से परामर्श करते हुए एक ऐसी योजना बनाई, जिसमें एक शक्ति को प्रगट कर महिषासुर का वध किया जा सके। सभी देवताओं ने एकसाथ मिलकर एक तेज के रूप में शक्तिस्वरूपा मां दुर्गा देवी को प्रकट किया। माता दुर्गा देवी हिंदुओं की सर्वाधिक शक्तिशाली देवियों में से एक है। हिंदू धर्मग्रंथों में कहा गया है कि माता दुर्गा देवी, असुरों यानी राक्षसों का वध करने के लिए ही आई थीं। पुरुष देवता असुरों को नियंत्रित करने में विफल रहे और तब उन्हें बनाया गया। उनके पास सभी पुरुष देवताओं की संयुक्त शक्तियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के इन नौ दिनों में मां दुर्गा की भक्ति सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है। उसके घर में सदैव माता दुर्गा देवी जी का वास होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आपके पास 9 दिनों के विशेष समय होते हैं। माता दुर्गा देवी के आह्वान हेतु कई मंत्र हैं। इनमें से कुछ मंत्र इस तरह हैं। देखिए और स्मरण कीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते।। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माता के आह्वान हेतु नवार्ण मंत्र ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै का जाप करें। पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता। प्रसीदम् तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि। गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते।। नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है और इन सभी स्वरूपों के अलग–अलग मंत्र हैं। इन मंत्रों को पूजा–पाठ के दौरान जपना होता है। माता दुर्गा देवी जी की जय। जय माई की।

लेखक विनय कांत मिश्र / दैनिक बुद्ध का संदेश

राजनीतिक इच्छाशक्तिकी कमी से संकट बरकरार

हालात यह है कि कहीं शोधन संयंत्र देखभाल के अभाव में खराब पड़े हैं, कहीं उनकी शोधन क्षमता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, कहीं जरूरत के मुताबिक उनकी तादाद बहुत कम है, और कहीं बिजली आपूर्ति समय पर न होने के कारण वे पूरे समय काम नहीं कर पाते। कहीं–कहीं शोधन संयंत्रों से गंदे नाले जोड़े ही नहीं गए हैं, नतीजतन वे सीधे नदियों में गिर रहे हैं...

ज्ञानेन्द्र रावत

बीते दिनों महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने गंगा की स्वच्छता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज देश की कोई नदी ऐसी नहीं है जो स्वच्छ हो और प्रदूषण मुक्त हो। विडम्बना यह है कि इसके बावजूद हम उन्हें स्वच्छ रखने में असफल रहे हैं।

गौरतलब है कि गंगा की सफाई का जिम्मा केन्द्र सरकार के सात मंत्रालयों पर है, लेकिन हकीकत यह है कि गंगा अपने मायके से ही प्रदूषित हो रही है। उत्तराखंड सरकार की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि गंगा कई स्थानों पर जल शोधन संयंत्र से छोड़े गए पानी से ही प्रदूषित है। एनजीटी को भी इस बारे में जानकारी है। यह स्थिति केवल गंगा की नहीं बल्कि देश की दूसरी नदियों की भी है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, गंगा और यमुना जैसी नदियां कई दशकों से प्रदूषित हैं। परिणामस्वरूप, जलीय जीव संकट में हैं और मानव स्वास्थ्य भी गंभीर खतरे में है। अनियोजित शहरीकरण, बढ़ती आबादी और कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी नदियों के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है, साथ ही यह भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर रहा है। विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र की रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी फैक्टरियों और संस्थानों से निकलने वाला 72 फीसदी गंदा पानी सीधे नदियों और झीलों में जा रहा है, जिससे पेयजल और अन्य उपयोग के लिए पानी का संकट बढ़ता जा रहा है।

एनजीटी की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों में रोजाना 1100 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवेज गिर रहा है। राज्य में गंगा

किनारे बसे जिलों के 225 नाले सीधे नदियों में मिल रहे हैं, जबकि केवल 101 नाले एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से जुड़े हैं।

देश की राजधानी दिल्ली की जीवन रेखा यमुना हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी गंदे नाले से भी बदतर हालत में है। उसका पानी न केवल लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। मौजूदा स्थिति यह है कि नई भाजपा सरकार नये संकल्प और यमुना सफाई के नये एजेंडे के साथ यमुना के पुनरुद्धार और कायाकल्प में जुटी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी दिल्ली के 18 औद्योगिक क्षेत्रों में एसटीपी की कमी पर हैरानी जताई है और कहा है कि यमुना में बिना ट्रीटमेंट के अपशिष्ट पदार्थ खुलेआम गिराए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि यहां एक–तिहाई क्षमता से एसटीपी काम कर रहे हैं और 11 क्लस्टरों के लिए प्लांट ही नहीं हैं। इसके लिए एसटीपी की क्षमता तीन गुना बढ़ानी होगी और निगरानी तंत्र को चौकस करना होगा, तभी कोई बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।

गौरतलब है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यमुना में प्रदूषण के लिए 80 फीसदी जिम्मेदार नजफगढ़ नाले को मानती है। असलियत यह है कि यमुना इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि दिल्ली के अंदर और सीमा पर भी उसका जल नहाने लायक नहीं है।

आंकड़ों के अनुसार, एक समय देश में करीब 15,000 छोटी–बड़ी नदियां थीं, जिनमें से 30 फीसदी से ज्यादा आज सूख चुकी हैं। 4500 से ज्यादा छोटी या मंझोली नदियां केवल बारिश के दिनों में बहती हैं और बाकी आठ–नौ महीनों में वे मृतप्राय रहती हैं।

देश की राजधानी दिल्ली की जीवनदायिनी यमुना में बरसात के दिनों में भले जलस्तर बढ़ा रहता है, लेकिन बाकी आठ–नौ महीनों में इसका जलस्तर काफी कम हो जाता है। गर्मी के दिनों में स्थिति और भयावह हो जाती है। यही हालत देश के अन्य राज्यों की छोटी–बड़ी नदियों की है, जहां की नदियों के साथ–साथ झीलों का जलस्तर भी कम हो गया है। उत्तराखंड में पर्यटन के लिए विख्यात नैनीताल की झीलें इसकी जीती–जागती मिसाल हैं, जिनका जलस्तर कम हो रहा है। मध्य भारत की गंगा कहलाने वाली पौराणिक नदी बेतवा की बात करें तो उसके उद्गम स्थल ही सिमट गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2024 में बेतवा के उद्गम स्थल में जल गंगा संवर्धन योजना शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन उसका अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है।

सवाल यह है कि देश की नदियां साफ क्यों नहीं हो पा रही हैं। इस मामले में जल शक्ति मंत्रालय ने भी स्वीकार किया है कि इसमें सीवेज सिस्टम की खामी अहम कारण है। असलियत में नदियों के किनारे बसे शहरों के सीवेज सिस्टम में सुधार में नाकामी के कारण सीवेज का गंदा पानी सीधे नदियों में गिरकर उन्हें विषाक्त कर रहा है। इसके लिए उन शहरों के नगर निकाय पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

हालात यह है कि कहीं शोधन संयंत्र देखभाल के अभाव में खराब पड़े हैं, कहीं उनकी शोधन क्षमता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, कहीं जरूरत के मुताबिक उनकी तादाद बहुत कम है और कहीं बिजली आपूर्ति समय पर न होने के कारण वे पूरे समय काम नहीं कर पाते। कहीं–कहीं शोधन संयंत्रों से गंदे नाले जोड़े ही नहीं गए हैं, नतीजतन वे सीधे नदियों में गिर रहे हैं।

लोकतंत्र की आत्मा है अभिव्यक्ति की आजादी

कुछ ही दिन पहले एक प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी में कहा था कि कलाकार, साहित्यकार का (अभिव्यक्ति की आजादी) अधिकार इस आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता कि उनकी अभिव्यक्ति कितनी लोकप्रिय है। विचार का मुकाबला विचार से ही होना चाहिए। इसी टिप्पणी में आगे यह भी कहा गया कि हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर ...

विश्वनाथ सचदेव

एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा चर्चा में है और इसे एक विडंबना ही कहा जायेगा कि इस बार यह मुद्दा एक कॉमेडियन की प्रस्तुति को लेकर उठा है। मैं बात कुणाल कामरा के उस कार्यक्रम की कर रहा हूं जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के एक राजनेता को 'गद्दार' कहा था। यह पहली बार नहीं है जब उक्त नेता को किसी ने इस विशेषण से जोड़ा है। उक्त नेताजी के पुराने साथी, जिन्हें त्याग कर उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनायी थी, अक्सर उनकी निष्ठा पर सवाल उठाते रहे हैं। पर नेताजी के अनुयायियों ने अब अपनी जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वैसी पहले नहीं देखा गया था।

जहां तक कॉमेडियन की बात है, मुझे आपत्ति किसी को गद्दार कहने से नहीं है। कोई भी मेरी नजर से देखे का वास्ता देकर किसी पर इस तरह का आरोप लगा सकता है, पर मुझे उन गालियों से आपत्ति है जो कॉमेडियन अपने कार्यक्रम में काम में लेते हैं। यह भाषा किसी सभ्य समाज की नहीं होनी चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि व्यंग्य सार्थक भी तभी होता है जब, जिसपर व्यंग्य किया गया है, वह तिलमिलाकर रह जाये, और अपने आप को कुछ करने की स्थिति में भी नहीं पाये। बहरहाल, इस सबके बावजूद मैं कॉमेडियन के अपनी बात कहने के अधिकार का समर्थन करूंगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है। वहीं इस बात को भी

रेखांकित किया जाना जरूरी है कि यह अधिकार असीमित नहीं है। हमारा संविधान इस अधिकार पर 'उचित प्रतिबंध' की बात भी करता है। जहां एक ओर इस अधिकार का उपयोग करने वाले से विवेकशील होने की अपेक्षा की जाती है। वहीं सरकार को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रीय हितों को देखते हुए उचित प्रबंध लगाये। हां, यह बात भी सही है कि अक्सर सरकारें अपने इस अधिकार का गलत उपयोग करने लगती हैं। अक्सर हम यह भी देखते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खतरों की दुहाई देकर जनतंत्र के इस महत्वपूर्ण हथियार को भोथरा करने की कोशिशें होती हैं। पचास साल पहले जब देश में आपातकाल घोषित किया गया था तो तब की सरकार ने ऐसी ही एक कोशिश की थी। वहीं यह बताना भी जरूरी है कि तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस बात को स्वीकारा भी था कि सेंसरशिप के कारण उन तक सही और पूरी जानकारी नहीं पहुंच पायी थी और वे उचित कदम नहीं उठा पायीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है। जनतांत्रिक व्यवस्था में जहां यह अधिकार जनता को एक हथियार देता है वहीं संबंधित सरकार को भी अपना कर्तव्य निभाने में सहायता कर सकता है। इस अधिकार का अभाव या हनन, दोनों, जनतंत्र को कमजोर बनाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अमेरिकी पत्रकार को दिये गये इंटरव्यू में आलोचना को 'जनतंत्र की आत्मा' कहा था। तब उन्होंने यह भी कहा था कि 'आज के जमाने में सही और तीखी आलोचना दिखाई नहीं देती।' इसी इंटरव्यू में उन्होंने भारत में आलोचना की शानदार परंपरा का भी उल्लेख किया था। 'निंदक नियरे राखिए' वाले कबीर को भी याद किया था। अपने इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने आलोचना और आरोप में अंतर समझाने की भी कोशिश की थी। यह बात दिलासा देने वाली है। पर अपने एक दशक से अधिक के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने आलोचना के द्वार जो ही जैसे बंद कर रखा है। पत्रकारों, रचनाकारों के प्रति एक आदरभाव की अपेक्षा करती है जनतांत्रिक व्यवस्था। यदि रचनाकार, पत्रकार, व्यंग्यकार आलोचना करते हैं तो व्यवस्था का दायित्व बनता है कि वह इसे सकारात्मक दृष्टि से समझे–स्वीकारे। यहां, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद किया जाना चाहिए। जब उन्हें यह लगा कि उनकी समुचित और सार्थक आलोचना नहीं हो रही तो उन्होंने छद्म नाम से स्वयं अपनी आलोचना करके जनतांत्रिक तौर–तरीकों का जैसे रास्ता दिखाया था। यही नहीं, उस जमाने के जाने–माने वरिष्ठ कार्टूनिस्ट शंकर को एक सार्वजनिक समारोह में उन्होंने कहा था, 'शंकर, मुझे भी मत बख्शना।' नेहरू का यह दृष्टिकोण और कथन जनतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के सम्मान का एक उदाहरण है।

इतिहास साक्षी है कि कार्टूनिस्ट शंकर ने और उसके बाद आर.के. लक्ष्मण ने अपनी कृतियों में सकारात्मक आलोचना के ढेरों उदाहरण प्रस्तुत किये थे। एक और कार्टूनिस्ट थे काक। उनके कार्टून भी सत्ता की तीखी आलोचना करने वाले हुआ करते थे। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। यहां व्यंग्यकार शरद जोशी को याद करना भी जरूरी है। शासन को सही राह पर लाने की एक सार्थक कोशिश हुआ करता था उनका लेखन। उनके व्यंग्य हंसाते भी थे और तिलमिलाते भी थे। यही यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि इन और ऐसे आलोचकों को उचित प्रतिसाद देना शासन और समाज दोनों का कर्तव्य है।

जनतांत्रिक व्यवस्था मात्र शासन–व्यवस्था नहीं है, यह एक जीवन–पद्धति है। इस व्यवस्था में सरकार और समाज दोनों का कर्तव्य बनता है कि वे कर्तव्यनिष्ठा और जागरूकता का निरंतर उदाहरण प्रस्तुत करें। इसी प्रक्रिया का हिस्सा आलोचना को सम्मान देना है। इसी सम्मान का प्रतीक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यहां दोहराने की कीमत पर भी यह कहना जरूरी है कि हमारे संविधान की धारा 19 (क) और 19(ख) दोनों मिलकर जनतांत्रिक प्रणाली को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। पहली धारा जनता को यह अधिकार देती है कि वह शासन की नकेल अपने हाथ में रखे और दूसरी धारा उस कर्तव्य की याद दिलाती है जो उचित प्रतिबंध के माध्यम से जनता को निभाना होता है।

तबाही मचा देंगे...भारत के इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका से सीधे भिड़ने को तैयार हुआ रूस ? कर दिया साफ– ईरान को छुआ तो...

डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति महायुद्ध की घंटी बजाती नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी स्टेल्थ बी टू बॉम्बर हमले के लिए तैयार हैं। द सन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लादेन को दफनाने वाला वॉर शिप भेजा गया है। यूएसएस कार्ल विल्सन को फारस की खाड़ी में भेजा गया है। यूएसएस कार्ल विल्सन अमेरिका के बड़े मिशन में शामिल रहा है। 35 का एक और स्क्वाड्रन मीडिल ईस्ट में तैनात कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो ईरान विनाश की अमेरिका ने शपथ सी ले ली हो। इसके अलावा इजरायल की सेना भी ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुकी है। विध्वंसक हथियारों से ईरान की घेराबंदी की जा रही है। ईरान के खिलाफ सख्त प्रतिबंध की धमकी दी गई है। ईरान से संचालित हूती विद्रोहियों पर विध्वंसक हमले किए गए हैं। वजह सीधा सा है कि ईरान पर परमाणु समझौते के लिए दबाव बनाना। मीडिल ईस्ट में ईरान को अलग थलग करने की अमेरिका की रणनीति है। लेकिन ईरान के साथ कई देश खड़े होते नजर आ रहे हैं।

भारत ने करोड़ों रुपये खर्च कर ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण करवाया है। अगर अमेरिका हमला करता है तो उसका निशाना चाबहार पोर्ट भी हो सकता है। ऐसे में भारत का एक बड़ा निवेश डूब सकता है। ऐसे में अब भारत का पक्का दोस्त रूस अब खुलकर ईरान के सपोर्ट में उतर आया है। ईरान के दुश्मनों को रूस चेतावनी देता नजर आ रहा है। रूस की तरफ से कहा गया है कि ईरान पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा कि ईरान पर हमला हुआ तो तबाही मच जाएगी। यानी रूस की तरफ से खुलकर अमेरिका को धमकी दे दी गई है। ये ईरान के लिए भी बहुत बड़ी राहत का सबब है। वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका से लेकर तमाम यूरोपीय देश ईरान को धमकाते नजर आ रहे हैं। रूस वैसे भी ईरान का बहुत अहम सहयोगी माना जाता रहा है और इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इस वक्त रूस जैसे ताकतवर मुल्क की ईरान को बहुत ज्यादा जरूरत है। ईरान के ऊपर परमाणु डील पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि तमाम यूरोपीय देशों की तरफ से भी ईरान के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका के संभावित हमले के डर से ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है। ईरानी समाचार एजेंसी मेहर न्यूज ने इस बारे में बड़ा दावा किया है। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। डिएगो गार्सिया द्वीप जो ब्रिटेन के नियंत्रण में है पर भी सभी की नजर है क्योंकि अतीत में अमेरिका ने इसी जगह से अफगानिस्तान और इराक पर हमले किए थे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई ने अमेरिका के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी दी है। कई अनुमानों में यहां तक आशंका जताई गई है कि ईरान के समृद्ध यूरेनियम का भंडार 60% से ज्यादा हो चुका है। यानि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी नजदीक पहुंच चुका है। हालांकि तेहरान कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है लेकिन सऊदी अरब और इजरायल जैसे देशों को उसकी मंशा खतरनाक लगती है।

काला जादू और खौफ से भरा छोरी 2 का भूतिया ट्रेलर रिलीज, चीख–चिल्लाहट खड़े कर देगी रोंगटे

नुसरत भरूचा और सोहा अली खान स्टारर हॉरर सुपरनैचुरल ड्रामा फिल्म छोरी 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. छोरी 2 का भूतिया ट्रेलर रोंगटे खड़े कर देने वाला है. छोरी 2 का निर्देशन विशाल फुरिया ने किया है. नुसरत के किरदार का नाम साक्षी है और सोहा अली खान डरावने किरदार में दर्शकों का पसीना छुड़ाएंगी. एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट बैनर तले फिल्म 11 अप्रैल को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी.

छोरी 2 का ट्रेलर दर्शकों को डरावनी दुनिया की सैर करा रहा है. ट्रेलर का एक पंच डायलॉग राजा ने छोरा चाहिए था ने समाज के कड़वे सच को सामने लाकर रख दिया है. छोरी 2 एक अंधविश्वास और काला जादू–टोना पर बेस्ड है. इसकी कहानी में एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए जद्दोजहद करती नजर आएगी. ट्रेलर के कुछ सीन दर्शकों के रोंगटे खड़े करने वाले हैं. ट्रेलर में गश्मीर महाजनी, सौरभ गोयल और पल्लवी अजय जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं जो कहानी को और भी थ्रिलर बनाने वाले हैं. हॉरर और थ्रिलर फिल्मों के शौकीनों के लिए छोरी 2 एक शानदार पैकेज हो सकती है जो डर के साथ–साथ सोचने पर भी मजबूर करेगी. साल 2021 में छोरी ने अपनी अनोखी कहानी से दर्शकों को इंप्रेस किया था. छोरी मराठी फिल्म लपाछपी का हिंदी रीमेक है. छोरी के कामयाब होने पर मेकर्स चार साल बाद इसका सीक्वल लेकर पहुंचे हैं. फिल्म में खौफ, प्यार, इमोशन और रहस्यमयी चीजों का मिश्रण देखने को मिलेगा. छोरी 2 के ट्रेलर में यह सब नजर आता है और इससे दर्शकों की इसे देखने के लिए बेताबी और बढ़ सकती है.

कार्यालय : ग्रा.पं.– गंगवल, वि.खं.– जोगिया, जनपद– सिद्धार्थनगर

पत्रांक मैमो/निविदा/सामग्री/2025–26

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **गंगवल** विकास खण्ड–**जोगिया** महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत तथा कराए जाने वाले का कार्य जैसे– एसडीएम रोड, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी. सेंटर, सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम आदि के लिये इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 20/04/2025 प्रातः 10.00 बजे तक समय आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा मोहरबंद प्रपत्र बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डाली जाएगी। निविदा उसी दिन अपराह्न 12.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर राशि रु–5000.00 (पांच हजार) होगी।

नियम व शर्तें :– 1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जाएगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह कर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जाएगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के मांग पर स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाए वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्रामपंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जाएगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। 8. प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। 9. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 10. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 11. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 12. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. धरोहर की धनराशि नगद राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडी एवं एनएससी/ड्राफ्ट बन्धक पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **गंगवल** के नाम बंधक से सम्पन्न कराना अनिवार्य है। 14. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 15. निविदा फार्म ग्राम पंचायत **गंगवल** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 रुपया है पर स्वीकार की जायेगी। 16. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **गंगवल** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामप्रधान– रामू चौधरी, ग्रामपंचायत– गंगवल, वि0ख0– जोगिया, सिद्धार्थनगर
सचिव/ग्रा.वि.अ.– मोती लाल अंकूश, ग्रामपंचायत– गंगवल, वि0ख0– जोगिया, सिद्धार्थनगर

कार्यालय : ग्रा.पं.– असनहरी, वि.खं.– रामनगर, जनपद– बस्ती

पत्रांक मैमो/निविदा/सामग्री/2025–26

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **असनहरी** विकास खण्ड–**रामनगर** महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत तथा कराए जाने वाले का कार्य जैसे– एसडीएम रोड, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी. सेंटर, सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम आदि के लिये इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 10/04/2025 प्रातः 10.00 बजे तक समय आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा मोहरबंद प्रपत्र बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डाली जाएगी। निविदा उसी दिन अपराह्न 12.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर राशि रु–5000.00 (पांच हजार) होगी।

नियम व शर्तें :– 1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जाएगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह कर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जाएगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के मांग पर स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाए वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्रामपंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जाएगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। 8. प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। 9. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 10. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 11. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 12. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. धरोहर की धनराशि नगद राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडी एवं एनएससी/ड्राफ्ट बन्धक पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **असनहरी** के नाम बंधक से सम्पन्न कराना अनिवार्य है। 14. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 15. निविदा फार्म ग्राम पंचायत **असनहरी** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 रुपया है पर स्वीकार की जायेगी। 16. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **असनहरी** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामप्रधान– प्रेम प्रकाश, ग्रामपंचायत– असनहरी, वि0ख0– रामनगर, बस्ती
सचिव/ग्रा.वि.अ.– आदर्श कुमार पाण्डेय, ग्रामपंचायत– असनहरी, वि0ख0– रामनगर, बस्ती

कार्यालय : ग्रा.पं.– सिलवटीया, वि.खं.– रामनगर, जनपद– बस्ती

पत्रांक मैमो/निविदा/सामग्री/2025–26

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **सिलवटीया** विकास खण्ड–**रामनगर** महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत तथा कराए जाने वाले का कार्य जैसे– एसडीएम रोड, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी. सेंटर, सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम आदि के लिये इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 10/04/2025 प्रातः 11.00 बजे तक समय आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा मोहरबंद प्रपत्र बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डाली जाएगी। निविदा उसी दिन अपराह्न 01.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर राशि रु–5000.00 (पांच हजार) होगी।

नियम व शर्तें :– 1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जाएगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह कर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जाएगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के मांग पर स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाए वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्रामपंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जाएगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। 8. प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। 9. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 10. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 11. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 12. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. धरोहर की धनराशि नगद राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडी एवं एनएससी/ड्राफ्ट बन्धक पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **सिलवटीया** के नाम बंधक से सम्पन्न कराना अनिवार्य है। 14. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 15. निविदा फार्म ग्राम पंचायत **सिलवटीया** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 रुपया है पर स्वीकार की जायेगी। 16. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **सिलवटीया** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामप्रधान– दुर्गा देवी, ग्रामपंचायत– सिलवटीया, वि0ख0– रामनगर, बस्ती
सचिव/ग्रा.वि.अ.– दिनेश कुमार, ग्रामपंचायत– सिलवटीया, वि0ख0– रामनगर, बस्ती

कार्यालय : ग्रा.पं.– मऊ दक्षिणी, वि.खं.– बांसी, जनपद– सिद्धार्थनगर

पत्रांक मैमो/निविदा/सामग्री/2025–26

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **मऊ दक्षिणी** विकास खण्ड– **बांसी** महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत तथा कराए जाने वाले का कार्य जैसे– एसडीएम रोड, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी. सेंटर, सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम आदि के लिये इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 11/04/2025 प्रातः 10.30 बजे तक समय आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा मोहरबंद प्रपत्र बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डाली जाएगी। निविदा उसी दिन अपराह्न 11.30 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर राशि रु–5000.00 (पांच हजार) होगी।

नियम व शर्तें :– 1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जाएगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह कर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जाएगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के मांग पर स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाए वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्रामपंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जाएगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। 8. प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। 9. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 10. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 11. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 12. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. धरोहर की धनराशि नगद राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडी एवं एनएससी/ड्राफ्ट बन्धक पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **मऊ दक्षिणी** के नाम बंधक से सम्पन्न कराना अनिवार्य है। 14. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 15. निविदा फार्म ग्राम पंचायत **मऊ दक्षिणी** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 रुपया है पर स्वीकार की जायेगी। 16. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **मऊ दक्षिणी** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामप्रधान– गौरव निषद, ग्रामपंचायत– मऊ दक्षिणी, वि0ख0– बांसी, सिद्धार्थनगर
सचिव/ग्रा.वि.अ.– अंकित कुमार, ग्रामपंचायत– मऊ दक्षिणी, वि0ख0– बांसी, सिद्धार्थनगर

कार्यालय : ग्रा.पं.– महुआकला, वि.खं.– बांसी, जनपद– सिद्धार्थनगर

पत्रांक मैमो/निविदा/सामग्री/2025–26

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **महुआकला** विकास खण्ड– **बांसी** महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत तथा कराए जाने वाले का कार्य जैसे– एसडीएम रोड, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी. सेंटर, सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम आदि के लिये इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 09/04/2025 प्रातः 10.30 बजे तक समय आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा मोहरबंद प्रपत्र बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डाली जाएगी। निविदा उसी दिन अपराह्न 11.30 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर राशि रु–5000.00 (पांच हजार) होगी।

नियम व शर्तें :– 1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जाएगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह कर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जाएगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के मांग पर स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाए वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्रामपंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जाएगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। 8. प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। 9. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 10. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 11. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 12. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. धरोहर की धनराशि नगद राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडी एवं एनएससी/ड्राफ्ट बन्धक पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **महुआकला** के नाम बंधक से सम्पन्न कराना अनिवार्य है। 14. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 15. निविदा फार्म ग्राम पंचायत **महुआकला** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 रुपया है पर स्वीकार की जायेगी। 16. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **महुआकला** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामप्रधान– सुनीता, ग्रामपंचायत– महुआकला, वि0ख0– बांसी, सिद्धार्थनगर
सचिव/ग्रा.वि.अ.– अंकित कुमार, ग्रामपंचायत– महुआकला, वि0ख0– बांसी, सिद्धार्थनगर

कार्यालय : ग्रा.पं.– जमलाजोत, वि.खं.– बांसी, जनपद– सिद्धार्थनगर

पत्रांक मैमो/निविदा/सामग्री/2025–26

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **जमलाजोत** विकास खण्ड– **बांसी** महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत तथा कराए जाने वाले का कार्य जैसे– एसडीएम रोड, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी. सेंटर, सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम आदि के लिये इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 15/04/2025 अपराह्न 02.00 बजे तक समय आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा मोहरबंद प्रपत्र बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डाली जाएगी। निविदा उसी दिन अपराह्न 03.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर राशि रु–5000.00 (पांच हजार) होगी।

नियम व शर्तें :– 1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जाएगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह कर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जाएगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के मांग पर स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाए वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्रामपंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जाएगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। 8. प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। 9. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 10. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 11. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 12. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. धरोहर की धनराशि नगद राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडी एवं एनएससी/ड्राफ्ट बन्धक पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **जमलाजोत** के नाम बंधक से सम्पन्न कराना अनिवार्य है। 14. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 15. निविदा फार्म ग्राम पंचायत **जमलाजोत** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 रुपया है पर स्वीकार की जायेगी। 16. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **जमलाजोत** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामप्रधान– निर्मला, ग्रामपंचायत– जमलाजोत, वि0ख0– बांसी, सिद्धार्थनगर
सचिव/ग्रा.वि.अ.– उमा दुबे, ग्रामपंचायत– जमलाजोत, वि0ख0– बांसी, सिद्धार्थनगर

कार्यालय : खण्ड विकास अधिकारी-हैरैया सतघरवा, जनपद-बलरामपुर

अल्पकालीन निविदा

पंचम राज्य वित्त आयोग/पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवशेष एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त होने वाली धनराशि से निम्नलिखित कार्यों/परियोजनाओं पर कार्य कराये जाने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित किया जाता है, जिसका विवरण सम्बन्धित परियोजना के सम्मुख अंकित है- पंचम राज्य वित्त आयोग:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	नाप/संख्या	आगणन की धनराशि (लाख रु० में)	2 प्रतिशत जमानत की धनराशि	टेण्डर मूल्य	कार्य पूर्ण की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम पंचायत [illegible] में स्ट्रीट लाईट की स्थापना	250 अदद	998000	19960	590.00	04 माह
2	ग्राम पंचायत [illegible] में स्ट्रीट लाईट की स्थापना	250 अदद	998000	19960	590.00	04 माह
3	ग्राम पंचायत [illegible] में स्ट्रीट लाईट की स्थापना	250 अदद	998000	19960	590.00	04 माह
4	ग्राम पंचायत [illegible] में स्ट्रीट लाईट की स्थापना	250 अदद	998000	19960	590.00	04 माह
5	ग्राम पंचायत [illegible] में स्ट्रीट लाईट की स्थापना	250 अदद	998000	19960	590.00	04 माह
6	[illegible]	01 अदद	352000	7040	590.00	04 माह
7	[illegible] हाईमास्ट लाईट की स्थापना	01 अदद	578000	11560	590.00	04 माह
8	[illegible] हाईमास्ट लाईट की स्थापना	01 अदद	578000	11560	590.00	04 माह
9	[illegible] हाईमास्ट लाईट की स्थापना	01 अदद	578000	11560	590.00	04 माह
10	[illegible] हाईमास्ट लाईट की स्थापना	01 अदद	578000	11560	590.00	04 माह
11	[illegible] हाईमास्ट लाईट की स्थापना	01 अदद	578000	11560	590.00	04 माह
12	[illegible] हाईमास्ट लाईट की स्थापना	01 अदद	578000	11560	590.00	04 माह
13	[illegible] इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	72 मीटर	644000	12880	590.00	04 माह
14	[illegible]	135 मीटर	990000	19800	590.00	04 माह
15	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
16	[illegible]	135 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
17	[illegible]	01 अदद	998000	19960	590.00	04 माह
18	[illegible]	01 अदद	990000	19800	590.00	04 माह
19	ग्राम पंचायत [illegible] में सार्वजनिक स्थल पर हाई मास्ट लाईट की स्थापना	2 अदद	990000	19800	590.00	04 माह
20	ग्राम पंचायत [illegible] में सार्वजनिक स्थल पर हाई मास्ट लाईट की स्थापना	2 अदद	990000	19800	590.00	04 माह
21	ग्राम पंचायत [illegible] में सार्वजनिक स्थल पर हाई मास्ट लाईट की स्थापना	2 अदद	990000	19800	590.00	04 माह
22	ग्राम पंचायत [illegible] में सार्वजनिक स्थल पर हाई मास्ट लाईट की स्थापना	2 अदद	990000	19800	590.00	04 माह
23	ग्राम पंचायत [illegible] में सार्वजनिक स्थल पर हाई मास्ट लाईट की स्थापना	2 अदद	990000	19800	590.00	04 माह
24	ग्राम पंचायत [illegible] में सार्वजनिक स्थल पर हाई मास्ट लाईट की स्थापना	2 अदद	990000	19800	590.00	04 माह
25	ग्राम पंचायत [illegible] में सार्वजनिक स्थल पर हाई मास्ट लाईट की स्थापना	2 अदद	990000	19800	590.00	04 माह
26	ग्राम पंचायत [illegible] में सार्वजनिक स्थल पर हाई मास्ट लाईट की स्थापना	2 अदद	990000	19800	590.00	04 माह
27	ग्राम पंचायत [illegible] में सार्वजनिक स्थल पर हाई मास्ट लाईट की स्थापना	2 अदद	990000	19800	590.00	04 माह
28	ग्राम पंचायत [illegible] में सार्वजनिक स्थल पर हाई मास्ट लाईट की स्थापना	2 अदद	990000	19800	590.00	04 माह
29	ग्राम पंचायत [illegible] में सार्वजनिक स्थल पर हाई मास्ट लाईट की स्थापना	2 अदद	990000	19800	590.00	04 माह
30	ग्राम पंचायत [illegible] में सार्वजनिक स्थल पर हाई मास्ट लाईट की स्थापना	2 अदद	990000	19800	590.00	04 माह
31	ग्राम पंचायत [illegible] में सार्वजनिक स्थल पर हाई मास्ट लाईट की स्थापना	2 अदद	90000	19800	590.00	04 माह
32	ग्राम पंचायत [illegible] में सार्वजनिक स्थल पर हाई मास्ट लाईट की स्थापना	2 अदद	99000	19800	590.00	04 माह
33	[illegible] इण्टरलाकिंग कार्य	165 मीटर	996000	19920	590.00	04 माह
34	[illegible] सी०सी०रोड का निर्माण	166 मीटर	996000	19920	590.00	04 माह
35	[illegible]	580 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
36	[illegible]	160 मीटर	997000	19940	590.00	04 माह
37	[illegible]	80 मीटर	333000	6660	590.00	04 माह
38	[illegible] इण्टरलाकिंग कार्य	80 मीटर	333000	6660	590.00	04 माह
39	[illegible]	85 मीटर	606000	12120	590.00	04 माह
40	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
41	[illegible]	100 मीटर	670000	13400	590.00	04 माह
42	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
43	[illegible]	01 अदद	998000	19960	590.00	04 माह
44	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
45	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
46	[illegible]	100 मीटर	670000	13400	590.00	04 माह
47	[illegible]	225 मीटर	530000	10600	590.00	04 माह
48	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
49	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
50	[illegible]	160 मीटर	996000	19920	590.00	04 माह
51	[illegible]	100 मीटर	600000	12000	590.00	04 माह
52	[illegible]	100 मीटर	650000	13000	590.00	04 माह
53	[illegible]	160 मीटर	997000	19940	590.00	04 माह
54	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
55	[illegible]	160 मीटर	996000	19920	590.00	04 माह
56	[illegible]	160 मीटर	996000	19920	590.00	04 माह
57	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
58	[illegible]	160 मीटर	996000	19920	590.00	04 माह
59	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
60	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
61	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
62	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
63	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
64	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
65	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
66	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
67	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
68	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
69	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
70	[illegible]	130 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
71	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
72	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
73	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
74	[illegible]	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
75	[illegible]	165 मीटर	996000	19920	590.00	04 माह
76	[illegible]	160 मीटर	995000	19900	590.00	04 माह
77	[illegible] इण्टरलाकिंग कार्य	151 मीटर	600000	12000	590.00	04 माह
78	[illegible] इण्टरलाकिंग कार्य	152 मीटर	650000	13000	590.00	04 माह
79	[illegible] सी०सी०/इण्टरलाकिंग कार्य	160 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
80	[illegible]	160 मीटर	997000	19940	590.00	04 माह
81	[illegible]	211 वर्ग मी.	996000	19920	590.00	04 माह
82	[illegible]	250 वर्ग मी.	801000	16020	590.00	04 माह
83	[illegible] इण्टरलाकिंग कार्य	100 मीटर	800000	16000	590.00	04 माह
84	[illegible]	एक यूनिट	950000	19000	590.00	04 माह
85	[illegible]	01 यूनिट	994000	19880	590.00	04 माह
86	[illegible]	30 मीटर	650000	13000	590.00	04 माह
87	[illegible]	130 मीटर	850000	17000	590.00	04 माह
88	[illegible]	100 मीटर	700000	14000	590.00	04 माह
89	[illegible]	100 मीटर	800000	16000	590.00	04 माह
90	[illegible]	100 मीटर	700000	14000	590.00	04 माह
91	[illegible] हाई मास्ट लाईट की स्थापना	02 अदद	990000	19800	590.00	04 माह
92	[illegible]	160 मीटर	997000	19940	590.00	04 माह
93	[illegible]	160 मीटर	997000	19940	590.00	04 माह
94	[illegible]	160 मीटर	997000	19940	590.00	04 माह
95	[illegible] सी०सी० रोड का निर्माण	100	700000	14000	590.00	04 माह

पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	नाप/संख्या	आगणन की धनराशि (लाख रु० में)	2 प्रतिशत जमानत की धनराशि	टेण्डर मूल्य	कार्य पूर्ण की अवधि
1	2	3	4	5	6	
1	[illegible] पुलिया का निर्माण	200 मीटर	800000	16000	590.00	04 माह
2	[illegible]	30 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह
3	[illegible]	01 अदद	385000	7700	590.00	04 माह
4	[illegible]	15 मीटर	700000	14000	590.00	04 माह
5	[illegible]	15 मीटर	680000	13600	590.00	04 माह
6	[illegible]	15 मीटर	680000	13600	590.00	04 माह
7	[illegible]	15 मीटर	680000	13600	590.00	04 माह
8	[illegible]	220 मीटर	996000	19920	590.00	04 माह
9	[illegible]	160 मीटर	800000	16000	590.00	04 माह
10	[illegible]	160 मीटर	800000	16000	590.00	04 माह
11	[illegible]	01 अदद	998000	19960	590.00	04 माह
12	[illegible]	7*3 मीटर	800000	16000	590.00	04 माह
13	[illegible]	01 अदद	998000	19960	590.00	04 माह
14	[illegible]	200 मीटर	968000	19360	590.00	04 माह
15	[illegible]	01 [illegible]	350000	7000	590.00	04 माह
16	[illegible]	7*3 मीटर	800000	16000	590.00	04 माह
17	[illegible]	01 अदद	998000	19960	590.00	04 माह
18	[illegible]	120 मीटर	680000	13600	590.00	04 माह
19	[illegible]	160 मीटर	735000	14700	590.00	04 माह
20	[illegible]	7*3 मीटर	800000	16000	590.00	04 माह
21	[illegible]	7*3 मीटर	996000	19920	590.00	04 माह
22	[illegible]	160 मीटर	735000	14700	590.00	04 माह
23	[illegible]	30 मीटर	220000	4400	590.00	04 माह
24	[illegible]	30 मीटर	78000	1560	590.00	04 माह
25	[illegible]	30 मीटर	78000	1560	590.00	04 माह
26	[illegible]	01 अदद	700000	14000	590.00	04 माह
27	[illegible]	01 अदद	700000	14000	590.00	04 माह
28	[illegible]	300 मीटर	990000	19800	590.00	04 माह
29	[illegible]	1 अदद	500000	10000	590.00	04 माह
30	[illegible]	200 मीटर	900000	18000	590.00	04 माह
31	[illegible]	200 मीटर	900000	18000	590.00	04 माह
32	[illegible]	200 मीटर	900000	18000	590.00	04 माह
33	[illegible]	01 अदद	800000	16000	590.00	04 माह
34	[illegible]	160 मीटर	700000	14000	590.00	04 माह
35	[illegible]	01 अदद	700000	14000	590.00	04 माह
36	[illegible]	01 अदद	700000	14000	590.00	04 माह
37	[illegible]	01 अदद	700000	14000	590.00	04 माह
38	[illegible]	01 अदद	400000	8000	590.00	04 माह
39	[illegible]	01 अदद	500000	10000	590.00	04 माह
40	[illegible]	160 मीटर	500000	10000	590.00	04 माह
41	[illegible]	30 मीटर	300000	6000	590.00	04 माह
42	[illegible]	01 अदद	500000	10000	590.00	04 माह
43	[illegible]		1000000	20000	590.00	04 माह
44	[illegible]	01 मीटर	350000	7000	590.00	04 माह
45	[illegible]	02 मीटर	996000	19920	590.00	04 माह
46	[illegible]	01 मीटर	350000	7000	590.00	04 माह
47	[illegible]	800/01 अदद	990000	19800	590.00	04 माह
48	[illegible]	6*3 मीटर	700000	14000	590.00	04 माह
49	[illegible]	6*3 मीटर	700000	14000	590.00	04 माह
50	[illegible]	6*3 मीटर	700000	14000	590.00	04 माह
51	[illegible]	6*3 मीटर	700000	14000	590.00	04 माह
52	[illegible]	94 मीटर	320000	6400	590.00	04 माह
53	[illegible]	30 मीटर	178000	3560	590.00	04 माह
54	[illegible]	200 मी०	998000	19960	590.00	04 माह
55	[illegible]	160 मीटर	990000	19800	590.00	04 माह
56	[illegible]	120 मीटर	800000	16000	590.00	04 माह
57	[illegible]	120 मीटर	900000	18000	590.00	04 माह
58	[illegible]	200 मीटर	900000	18000	590.00	04 माह
59	[illegible]	160 मीटर	990000	19800	590.00	04 माह
60	[illegible]	300 मीटर	800000	16000	590.00	04 माह
61	[illegible]	160 मीटर	990000	19800	590.00	04 माह
62	[illegible]	01 अदद	700000	14000	590.00	04 माह
63	[illegible]	160 मीटर	990000	19800	590.00	04 माह
64	[illegible]	01 अदद	950000	19000	590.00	04 माह
65	[illegible]	160 मीटर	900000	18000	590.00	04 माह
66	[illegible]	160 मीटर	990000	19800	590.00	04 माह
67	[illegible]	160 मीटर	950000	19000	590.00	04 माह
68	[illegible]	160 मीटर	900000	18000	590.00	04 माह
69	[illegible]	160 मीटर	900000	18000	590.00	04 माह
70	[illegible]	200 मीटर	900000	18000	590.00	04 माह
71	[illegible]	140 मीटर	900000	18000	590.00	04 माह
72	[illegible]	140 मीटर	900000	18000	590.00	04 माह
73	[illegible]	160 मीटर	900000	18000	590.00	04 माह
74	[illegible]	160 मीटर	950000	19000	590.00	04 माह
75	[illegible]	160 मीटर	950000	19000	590.00	04 माह
76	[illegible]	140 मीटर	900000	18000	590.00	04 माह
78	[illegible]	140 मीटर	900000	18000	590.00	04 माह
79	[illegible]	140 मीटर	900000	18000	590.00	04 माह
80	[illegible]	160 मीटर	950000	19000	590.00	04 माह
81	[illegible]	160 मीटर	950000	19000	590.00	04 माह
82	[illegible]	80 मीटर	400000	8000	590.00	04 माह
83	[illegible]	160 मीटर	950000	19000	590.00	04 माह
84	[illegible]	200 मीटर	950000	19000	590.00	04 माह
85	[illegible]	100 मीटर	700000	14000	590.00	04 माह
86	[illegible]	160 मीटर	990000	19800	590.00	04 माह
87	[illegible]	01 अदद	900000	18000	590.00	04 माह
88	[illegible]	7*3 मीटर	800000	16000	590.00	04 माह
89	[illegible]	7*3 मीटर	800000	16000	590.00	04 माह
90	[illegible]	7*3 मीटर	800000	16000	590.00	04 माह
91	[illegible]	160 मीटर	950000	19000	590.00	04 माह
92	[illegible]	160 मीटर	997000	19940	590.00	04 माह
93	[illegible]	100 मीटर	700000	14000	590.00	04 माह
94	[illegible]	6*1.5 मी०	650000	13000	590.00	04 माह
95	[illegible]	125 मीटर	998000	19960	590.00	04 माह

शर्तें:-

1. निविदा प्रपत्र दिनांक 05.04.2025 से दिनांक 11.04.2025 की पूर्वाह्न 12.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा का मूल्य रू0 590.00 [illegible] जमा होगा है। निविदा प्रपत्र दिनांक 11.04.2025 की पूर्वाह्न 12.00 बजे तक [illegible] में डाला जायेगा एवं उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे तक [illegible] निविदा को खोला जायेगा।
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]

नोट- [illegible] 10.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक [illegible] जा सकता है।

खण्ड विकास अधिकारी
हैरैयासतघरवा-बलरामपुर

प्रमुख
क्षेत्र पंचायत- हैरैयासतघरवा

पत्रांक- 05/[illegible](निविदा)/2024-25 । दिनांक- 03/04/2025

जनपद के चारों तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन 5 अप्रैल को

दैनिक बुद्ध का सन्देश

सोनभद्र। जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि शासन की मंशा के अनुरूप अप्रैल महीने के प्रथम शनिवार को जनपद के सभी तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन 05 अप्रैल,2025 को किया जायेगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दुद्धी में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांग प्रमाण–पत्र, आयुष्मान कार्ड, जिला प्रोबेशन विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से सम्बन्धित कैम्प/शिविर भी लगाया जायेगा, जिसमें नया पेंशन आनलाईन कराने के कराने के साथ ही पेंशन हेतु के0वाई0सी0 का भी कार्य कराया जायेगा। आयोजित कैम्प के माध्यम से केन्द्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित विभाग से जुड़े पात्र लाभार्थी आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नम्बर (ओ0टी0पी0 हेतु) के साथ स्वयं उपस्थित होकर योजनाओं के लाभ हेतु नया आवेदन, के0वाई0सी0 आदि कार्य करा सकते हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि कैम्प में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांग प्रमाण–पत्र जारी जारी किया जायेगा, जिसके लिए आधार कार्ड, ओ0टी0पी0 के लिए मोबाईल का होना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से दिव्यांगता बोर्ड द्वारा दिव्यांगजनों का नवीन दिव्यांग प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा, जिस हेतु प्रमाण–पत्र बनवाने के लिए आनलाइन आवेदन किये गये फार्म की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति व दिव्यांगता दर्शाते हुए चार फोटो की आवश्यकता होगी। दिव्यांगजन जिनका दिव्यांग प्रमाण–पत्र अभी तक नहीं बन पाया है विभाग के वेबसाइट sevaplan.upsdc.gov.in पर आनलाइन कराकर तहसील दुद्धी में उपस्थित होकर दिव्यांग प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वंचित दिव्यांगजनों को विभाग की योजनाओं का लाभ मिल सके। जिला प्रोबेशन विभाग द्वारा संचालित योजना पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, इस योजना के लाभ हेतु ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा उन्हें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, को मासिक पेंशन के रूप में 1 हजार रुपये प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत समान लिंगानुपात स्थापित करने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को सुदृढ़ करने, बालिकाओं के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बालिकाओं के जन्म के प्रति आम जन में सकारात्मक सोच विकसित करने पर लाभ दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना के लिए जनपद के निवासी, पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये तथा परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों, को पात्र माना जायेगा, जिसके लाभ हेतु बच्चे और आवेदक का फोटो, बैंक खाते का विवरण, निवास प्रमाण–पत्र, श्रेणीवार आवश्यक जन्म प्रमाण–पत्र, टीकाकरण कार्ड, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश का प्रमाण तथा आवेदक का आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था योजना के तहत ऐसे व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र हेतु आय 46 हजार 80 रुपये तथा नगरीय क्षेत्र हेतु वार्षिक आय 56 हजार 460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। इसके लाभ हेतु उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नम्बर ओ0टी0पी0 हेतु एवं एक पासपोर्ट साइज का फोटो के साथ वेबसाइट sspy-up.gov.in पद पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति (महिला/पुरुष) जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर 30 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पासपोर्ट साइज का फोटो, आय प्रमाण पत्र ग्रामीण हेतु 46080 व शहरी क्षेत्र में 56460 वार्षिक आय से अधिक न हो, आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक पासबुक, पारिवार रजिस्टर की नकल, मृतक के आनलाईन मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृत्यु तिथि से 1 वर्ष के अन्दर तक विभाग के वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।

पूर्व सैनिकों का निःशुल्क प्रशिक्षण 9 अप्रैल तक नाम देना करें सुनिश्चित

दैनिक बुद्ध का सन्देश

सोनभद्र। कैप्टन (नौ सेना) आशुतोष चौधरी(अ0प्रा0) जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी सोनभद्र ने अवगत कराया है कि जनपद सोनभद्र में निवास करते पूर्व सैनिक एवं उनकी उपर्क आश्रितों को निःशुल्क 400 घण्टे इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण 300 घण्टे कम्प्यूटर फैशन डिजाइनिंग कोर्स तथा 180 घण्टे कम्प्यूटर टैली कोर्स कराया जाना प्रस्तावित है। प्रशिक्षण हेतु इच्छुक समस्त पूर्व सैनिकों की एवं उनके इच्छुक अभ्यर्थी अपना नाम जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में 09 अप्रैल 2025 तक देना सुनिश्चित करेंगे, जिससे निःशुल्क प्रशिक्षण का लाभ उठा सकें।

साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा आवेदक का फ्राड हुआ 25000/– रुपये वापस कराये गये

दैनिक बुद्ध का सन्देश

सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा द्वारा साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, क्षेत्राधिकारी सदर के दिशा–निर्देशन में साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद सोनभद्र द्वारा आवेदक प्रियांशु सिंह पुत्र श्याम नन्द सिंह निवासी सेक्टर 09 कॉलोनी, पनारी थाना ओबरा जनपद सोनभद्र के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 25000/– रुपये का फ्रॉड देने के नाम पर साइबर फ्राड कर लिया गया था। उपरोक्त प्रकरण की जांच के क्रम में साइबर क्राइम पुलिस टीम के अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा सम्बन्धित पोर्टल्स के माध्यम से आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करके सम्बन्धित बैंक से पत्राचार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये आवेदक प्रियांशु सिंह उपरोक्त का 25000/– रुपये उनके मूल बैंक खाते में सफलतापूर्वक वापस कराया गया। जिस पर आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी सदर के साथ साथ साइबर क्राइम पुलिस थाना के अधिकारी/कर्मचारीगण की भूरि–भूरि प्रशंसा की गयी ।

पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाईन चुर्क में परेड की ली सलामी, किया निरीक्षण

दैनिक बुद्ध का सन्देश

सोनभद्र। अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाईन परेड ग्राउंड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गई तथा परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड की दौड़ लगवाई । निरीक्षण के क्रम में उनके द्वारा यूपी0–112 के थानों से आये वाहनों की गहनता से चेकिंग की गयी तथा पीआरवी पर तैनात पुलिस कर्मियों से वाहनों में उपलब्ध दंगा नियंत्रण/सुरक्षा उपकरणों के सम्बंध में जानकारी लेते हुए उनकी चेकिंग की गयी । तत्पश्चात पुलिस लाईन चुर्क में स्थित क्वार्टर गार्द पर तैनात सलामी गार्द द्वारा उनको को सलामी दी गयी जिसपर उनके द्वारा सलामी का अभिवादन स्वीकार किया तथा कर्मियों की गार्द रजिस्टर पेशी की गई । इस दौरान उनके द्वारा क्वार्टर गार्द, स्टोर, परिवहन शाखा, मेस, पुलिस बैरक व आगामी होने वाले आरटीसी की तैयारी का जायजा लिया गया व पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण कर साफ–सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए।

जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्रों में 03 अप्रैल से 02 जून, तक निषेधाज्ञा लागू : जिलाधिकारी

दैनिक बुद्ध का सन्देश

सोनभद्र। जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि महामारी अधिनियम–1897 के दृष्टिगत उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग 5 की अधिसूचना के निर्देशानुसार 03 फरवरी, 2025 द्वारा निषेधाज्ञा पारित करते हुए 03 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी किया गया था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। आगामी विभिन्न पर्वो/त्यौहारों तथा उ0प्र0 बोर्ड व अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं आदि के आयोजन पर कतिपय अवांछित तत्वों के हस्तक्षेप/साजिश के कारण विधि एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित किये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिसके शांति कायम रखने के लिए यह निषेधाज्ञा 03 अप्रैल से 02 जून, 2025 तक लागू रहेगा, यदि आवश्यक कारणों से इसे मध्य में ही वापस नहीं लिया गया तो तद्नुसार प्रभावी रहेगी। इसके अतिरिक्त समय–समय पर शासन स्तर से निर्धारित एवं स्थानीय स्तर पर जनपद में सम्पन्न होने वाले विभिन्न आवश्यक प्रतियोगी तथा शैक्षणिक परीक्षाओं के व वर्तमान में वक्फ बिल प्रस्ताव के दृष्टिगत विधि एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित रखे जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत आवश्यक प्रविधानों के आधार एक नवीन निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–163 (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 प्रभावी किया जाना अपेक्षित है। लागू निषेधाज्ञा के दौरान आगामी पर्व त्यौहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए किसी प्रकार के जुलूस, धरना–प्रदर्शन इत्यादि बिना प्रशासनिक अनुमति आयोजित नहीं किये जायेंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह अपर जिला मजिस्ट्रेट अधोहस्ताक्षरी अथवा उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना न तो कोई सभा, धरना–प्रदर्शन अथवा जुलूस का आयोजन करेगा न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। धार्मिक मेलों, बारात व शव यात्राओं पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लाउड स्पीकर/साउण्ड बाक्स/अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त किसी भी प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने की दशा में निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–163(2) भा० न्याय0सं0–2023 एवं कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत तत्सम्बन्धित लागू आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 एवं भा0द0वि0 की प्रभावी सुसंगत धाराओं में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जनहित एवं आवश्यकता के दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित समस्त प्रावधानों का कड़ाई एवं तत्परता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

02 अन्तर्रजनपदीय गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, एक अदद ट्रक से कुल 800 किग्रा मादक पदार्थ गांजा बरामद

दैनिक बुद्ध का सन्देश

सोनभद्र। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी पीयूष मोर्डिया, पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर आर0पी0 सिंह व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध पुलिस के निरन्तर प्रहार की कड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी घोरावल राहुल पाण्डेय के पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना शाहगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 03.04.2025 को समय 21.25 बजे रॉबर्ट्सगंज–घोरावल मार्ग पर बनौरा पुलिस के पास से

एक डीसीएम कंटेनर संख्या एचआर 38 न 6355 से उड़ीसा प्रान्त से गांजा लोड करके प्रयागराज ले जा रहे कुल 800 किग्रा अवैध गांजा (अनुमानित कीमत 01 करोड़ 60 लाख) के साथ 02 नफर अन्तर्रजनपदीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया । इस बरामदगी व गिरतारी के सम्बन्ध में थाना शाहगंज पर मु0अ0सं0–38/2025धारा 8/20/27ए/29/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर पुलिस ने बताया कि अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस पूछताछ में बताया कि गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग लाईट से दिल्ली होकर विशाखापत्तनम जाते हैं वहां से कटक जाकर एक व्यक्ति बबलू द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर वहां पर बबलू द्वारा भेजे गये व्यक्ति द्वारा एक डीसीएम कंटेनर के अन्दर गांजा रखकर मजबूत प्लेट लगाकर वेल्डिंग कर देते हैं जिससे बाहर से देखने पर खाली दिखाई पड़े, उसके पश्चात गाड़ी व एक नई मोबाइल सिम लगाकर हमलोगों को दे देते हैं । जिसपर गांजा मगाने वाले व्यक्ति बबलू व सहयोग सिद्धि विनायक व कादिन अली ही व्हाट्सएप के माध्यम से बात करते हैं । गाड़ी को पास कराने हेतु रास्ते में कुछ व्यक्ति जो अन्य गाड़ी से आगे–पीछे चलते हैं।

किसानों के फसलों पर आग का ताण्डव, आंखो से छलका आंसू

दैनिक बुद्ध का संदेश

शोहरतगढ़/सिद्धार्थनगर। एक बार फिर किसानों के फसलों

पर आग का तांडव चला। आग की चपेट में आने से लगभग 200 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गयी। क्षेत्रीय लोग और दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए घन्टों मशक्कत करती रही। फसल में आग लगने से सैकड़ों बीघा गेहू जलकर राख हो गया, जिसको देखकर किसानों के आंखों से आंसू छलक गया। शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के धनौरा, महदेइया, लक्ष्मीनगर, कोटिया टीगर, नदपलिया गांव के सिवान के गेहू फसल में आग का ताण्डव का मामला है।

मत्स्य पालक कल्याण योजना स्वी.त पत्र वितरण 8 अप्रैल को

दैनिक बुद्ध का सन्देश

सोनभद्र। सहायक निदेशक मत्स्य ने अवगत कराया है कि मत्स्य पालक कल्याण कोष योजनान्तर्गत माता सुकेता महिला मत्स्य पालक सशक्तिकरण परियोजना के केज स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में अन्य महिला श्रेणी में 308, बी0पी0एल0 महिला श्रेणी में 09, विधवा महिला श्रेणी में 05 जनपद में कुल 320 चयनित (प्रतीक्षारत–75) महिलाओं को स्वी.ति पत्र का वितरण मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी के कर कमलों से 08 अप्रैल,2025 को विकास खण्ड चोपन के सभागार में समय 1.00 बजे अपरान्ह में किया जायेगा। उन्होंने सभी सम्बन्धित लाभार्थियों से अनुरोध किया है कि समय से अपने–अपने आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर अपना अपना स्वी.ति पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

जिला चिकित्सालय बस्ती में तैनात डा. अंकित चतुर्वेदी ने दिया त्याग–पत्र

दैनिक बुद्ध का संदेश

बस्ती। जिला चिकित्सालय बस्ती में फिजीशियन के पद पर तैनात डा. अंकित चतुर्वेदी ने निजी कारणों से त्याग–पत्र दे दिया है। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजे पत्र में डा. अंकित चतुर्वेदी ने कहा है कि उन्हें विभाग में सेवा प्रदान करते हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। उनके पिता जी काफी वृद्ध हो चुके हैं, जो काफी समय से गम्भीर रूप बीमार चल रहे हैं, जिनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। सरकारी सेवा में सेवारत रहने के कारण वे उनकी उचित देखभाल करने में असहज पा रहा हूं एवं काफी असुविधा हो रही है, जिसके कारण वे अपने राजकीय कार्यों एवं पद से स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहे हैं।

भक्तों की मुरादें पूर्ण करती हैं, मेहदिया मन्दिर की माँ काली

दैनिक बुद्ध का सन्देश

गोरखपुर। माँ काली के इस मंदिर की महिमा अपरम्पार है, दूर–दराज से लोग आते हैं इस मंदिर पर माथा टेकने। ऐसी मान्यता है कि मां को याद कर जो भी मन्नतें मांगता है उसकी मुरादें मां अवश्य पूर्ण करती है। स्थानीय राजपूत बाबा राजबंशी सिंह के पूर्वज के आराधना पर प्रकट हुई थी माँ तब से ही माता के मंदिर पर भक्तों का शुरू हो जाता है आना जाना। चन्द्रवंशी क्षत्रिय आराध्य देवी के रूप में करते हैं पूजा तथा गांव का हर दूल्हा यहीं हाजिरी देकर ही निकलता है बारात के साथ दुल्हन लाने। गोरखपुर से तकरीबन 40 किमी दूर दक्षिणांचल में गोरखपुर–वाराणसी राजमार्ग के निकट गगहा क्षेत्र के राजस्व ग्रामसभा मेहदिया में चंद्रवंशी क्षत्रियों की आराध्य देवी माँ भद्रकाली का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थित है जिसकी क्षेत्र में काफी मान्यता है। इस गाँव के दीपक सिंह बताते हैं, कि माँ उनकी तथा अपने सभी भक्तों की रक्षा सदैव करती है। सैकड़ों वर्ष पूर्व स्थानीय राजपूत बाबा राजबंशी सिंह के

पूर्वज को स्वप्न में माता ने दर्शन दे कर गांव की इस जमीन पर अपने होने का प्रमाण दिया था। अगले ही दिन से उस स्थान पर स्थित नीम के पेड़ की जड़ में पिण्डी स्वरूप माँ काली को देखकर सभी ग्रामीणों ने मिट्टी का चबूतरा बना कर पूजा आराधना शुरू कर दी, जो आज तक अनवरत चल रही है। कालांतर में जनसहयोग से पिंडी की जगह मन्दिर का निर्माण करवा कर मूर्ति की स्थापना करवाई गई। मंदिर की महिमा अपरम्पार है इस मंदिर पर पूजा अर्चना करने से कोई नेता बना तो कोई अभिनेता बना कोई गायक बना कोई ठेकेदार बना कोई पहलवान बना यही नहीं इस मंदिर पर पूजा अर्चना करने से इस क्षेत्र के दर्जनों लोग सरकारी नौकरी तथा नौकरी में प्रमोशन पा कर के गगहा का नाम रोशन कर रहे हैं।

भक्तों की मुरादें पूरी करती है माँ काली

सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में भी अति प्राचीन नीम के वृक्ष की छाँव में विराजमान माँ भद्रकाली की इस मंदिर पर बहुत दूर–दराज से लोग आते हैं मां की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मुराद माँ के सम्मुख रखते हैं और ऐसी मान्यता है कि मां को याद कर जो भी मन्नतें मांगता है। उनकी मुरादें माँ अवश्य पूर्ण करती है। मन्नत पूरी होने पर भक्तगण मां को चुनरी, नारियल, धूप, अगरबत्ती के साथ कथा–कढ़ाही, धार–कपूर, लवंग इत्यादि चढ़ाते हैं। यह मन्दिर सभी भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। यहां पर सभी प्रकार के मांगलिक कार्य मुंडन, विवाह इत्यादि में लोग माता से मिल कर आशीर्वाद लेते हैं। और गांव का हर दूल्हा यहीं हाजिरी दे कर ही बारात के साथ दुल्हन को ले कर आने के लिए बारात के साथ निकलता है। मंदिर पर साफ सफाई का कार्य स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। माता के दर्शनों के लिए सातों दिन आठों प्रहर भक्तगण का आना–जाना लगा रहता है।

जन सहयोग से मंदिर का हुआ है जीर्णोद्धार

समय के साथ साथ मंदिर का भक्तों के सहयोग से कई बार नवीनीकरण कराया जाता रहा है। इस मंदिर को पूरी तरह पक्का और आकर्षक बनाने में समाजसेवी मेसर्स पालीवाल ब्रदर्स गिरजा शंकर सिंह उर्फ तारा सिंह पालीवाल का सहयोग अतुलनीय है। इस बार के चैत्र वासंतिक नवरात्रि के प्रारम्भ में माता दुर्गा की सातवीं शक्ति का जागृत स्वरूप माता के मन्दिर की मरम्मत रंगाई पुताई कर तैयारी पूरी कर नए मुर्तियों की स्थापना शुक्रवार को की गई और विशाल भंडारा महाप्रसाद का वितरण किया गया। जिसमें टीपू सिंह, मंटू सिंह, चन्दन सिंह, शम्भू नेताजी, सरदार प्रदीप सिंह, रामप्रवेश यादव, सतीश सिंह, वीरेंद्र गुप्ता, पन्ने गुप्ता, शिवशंकर सिंह, भगवन्त सिंह, सुरेश सिंह, श्रीप्रकाश सिंह उर्फ भोला सिंह, गोलई सिंह, नरसिंह सिंह, अमित सिंह, प्रमोद गुप्ता, जय गोविन्द चौधरी, प्रेम सिंह, अजित सिंह, रविंद्र सिंह, दगली यादव, अर्जुन सिंह सहित पुरुष व स्त्रियां, बच्चों सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे।

आनंद नगर कटरा व पतेलवा में पानी की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन

दैनिक बुद्ध का संदेश

बस्ती। बस्ती–आनंद नगर कटरा और पतेलवा के निवासियों

ने कंपनी बाग से बढ़नी तक हो रहे सड़क निर्माण के कारण पिछले डेढ़ साल पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज उनके साथ जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत कराया। ज्ञापन देने वालों में अमीर चंद्र, विनय चौधरी, अनिल कुमार पाण्डेय, संध्या दीक्षित, बालकृष्ण मिश्रा, मेहताब आलम, ओम नाथ, अनिल कुमार श्रीवास्तव, संजय कुमार गुप्ता राम कुमार गुप्ता, जमी मोहम्मद, सम्पू चौधरी, राज कुमार, दाउद हसन, राजू श्रीवास्तव, हेमंत कुमार वर्मा, शंभू प्रसाद, अजय पांडे, अजय साहनी, विनोद निषाद, मंजू वर्मा, अनिल श्रीवास्तव, जंगी लाल, गया प्रसाद, अरशद अंसारी, रजत विश्वकर्मा, वीरेंद्र, सुरेंद्र कुमार, भोला चौहान, दुर्गेंद्र श्रीवास्तव पप्पू, राधेश्याम गुप्ता सहित आदि लोग उपस्थित रहे।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक- श्रीमती पुष्पा शर्मा द्वारा बुद्धा प्रिन्टर्स, ज्योति नगर मधुकरपुर, निकट-हीरो होण्डा एजेन्सी, जनपद- सिद्धार्थनगर (उ0प्र0) 272207 से मुद्रित एवं प्रकाशित। सम्पादक- राजेश कुमार शर्मा
आर.एन.आई. नं.-UPHIN/2012/49458 9415163471, 9453824459 दैनिक बुद्ध का संदेश 9795951917, 9415163471 @budhakasandesh budhakasandeshnews@gmail.com www.budhakasandesh.com
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट. के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद जनपद- सिद्धार्थनगर न्यायालय के अधीन ही मान्य होगा।

कार्यालय : ग्रा.पं.- पिपरसन, वि.खं.- बर्डपुर, जनपद- सिद्धार्थनगर

पत्रांक मेमो/निविदा/सामग्री/2025-26

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **पिपरसन** विकास खण्ड– **बर्डपुर** महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/पंचम वित्त/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत तथा कराए जाने वाले का कार्य जैसे– एसडीएम रोड, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी सेंटर सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम आदि के लिये इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 11/04/2025 अपरान्ह 03.00 बजे तक सलग्न आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा वांछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डाली जाएगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 04.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर राशि रु–5000.00 (पांच हजार) होगी।

नियम व शर्त :– 1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जाएगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह कर देता हो। प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर रिटर्न/पैन संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जाएगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के समिति से स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाए वह टैक्स तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जाएगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ायी जा सकती है। 8. प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। 9. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 10. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीओ, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 11. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 12. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. धरोहर की धनराशि नगद राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडी एवं एनएससी/डाकघर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **पिपरसन** के नाम बंधक से सम्बन्ध करना अनिवार्य है। 14. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 15. निविदा फार्म ग्राम पंचायत **पिपरसन** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 रुपया है पर स्वीकार की जायेगी। 16. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **पिपरसन** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामप्रधान-श्रीमती उर्मिला देवी, ग्रामपंचायत- पिपरसन, वि0ख0- बर्डपुर, सिद्धार्थनगर
सचिव/ग्रा.वि.अ.- श्री मनोहर लाल जायसवाल, ग्रामपंचायत- पिपरसन, वि0ख0- बर्डपुर, सिद्धार्थनगर

कार्यालय : ग्रा.पं.- महदेवा कुर्मी, वि.खं.- बर्डपुर, जनपद- सिद्धार्थनगर

पत्रांक मेमो/निविदा/सामग्री/2025-26

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **महदेवा कुर्मी** विकास खण्ड– **बर्डपुर** महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/पंचम वित्त/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत तथा कराए जाने वाले का कार्य जैसे– एसडीएम रोड, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी सेंटर सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम आदि के लिये इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 12/04/2025 अपरान्ह 03.00 बजे तक सलग्न आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा वांछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डाली जाएगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 04.30 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर राशि रु–5000.00 (पांच हजार) होगी।

नियम व शर्त :– 1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जाएगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह कर देता हो। प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर रिटर्न/पैन संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जाएगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के समिति से स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाए वह टैक्स तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जाएगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ायी जा सकती है। 8. प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। 9. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 10. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीओ, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 11. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 12. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. धरोहर की धनराशि नगद राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडी एवं एनएससी/डाकघर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **महदेवा कुर्मी** के नाम बंधक से सम्बन्ध करना अनिवार्य है। 14. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 15. निविदा फार्म ग्राम पंचायत **महदेवा कुर्मी** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 रुपया है पर स्वीकार की जायेगी। 16. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **महदेवा कुर्मी** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामप्रधान-श्री अजीजुद्दीन, ग्रामपंचायत- महदेवा कुर्मी, वि0ख0- बर्डपुर, सिद्धार्थनगर
सचिव/ग्रा.वि.अ.- श्री मनोहर लाल जायसवाल, ग्रामपंचायत- महदेवा कुर्मी, वि0ख0- बर्डपुर, सिद्धार्थनगर

कार्यालय : ग्रा.पं.- अगया खुर्द, वि.खं.- बर्डपुर, जनपद- सिद्धार्थनगर

पत्रांक मेमो/निविदा/सामग्री/2025-26

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **अगया खुर्द** विकास खण्ड– **बर्डपुर** महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/पंचम वित्त/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत तथा कराए जाने वाले का कार्य जैसे– एसडीएम रोड, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी सेंटर सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम आदि के लिये इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 26/04/2025 प्रातः 11.00 बजे तक सलग्न आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा वांछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डाली जाएगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर राशि रु–5000.00 (पांच हजार) होगी।

नियम व शर्त :– 1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जाएगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह कर देता हो। प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर रिटर्न/पैन संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जाएगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के समिति से स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाए वह टैक्स तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जाएगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ायी जा सकती है। 8. प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। 9. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 10. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीओ, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 11. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 12. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. धरोहर की धनराशि नगद राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडी एवं एनएससी/डाकघर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **अगया खुर्द** के नाम बंधक से सम्बन्ध करना अनिवार्य है। 14. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 15. निविदा फार्म ग्राम पंचायत **अगया खुर्द** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 रुपया है पर स्वीकार की जायेगी। 16. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **अगया खुर्द** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामप्रधान-श्रीमती प्रमिला देवी, ग्रामपंचायत- अगया खुर्द, वि0ख0- बर्डपुर, सिद्धार्थनगर
सचिव/ग्रा.वि.अ.- श्री अंकित कुमार शुक्ला, ग्रामपंचायत- अगया खुर्द, वि0ख0- बर्डपुर, सिद्धार्थनगर

कार्यालय : ग्रा.पं.- बरगदी, वि.खं.- बर्डपुर, जनपद- सिद्धार्थनगर

पत्रांक मेमो/निविदा/सामग्री/2025-26

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बरगदी** विकास खण्ड– **बर्डपुर** महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/पंचम वित्त/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत तथा कराए जाने वाले का कार्य जैसे– एसडीएम रोड, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी सेंटर सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम आदि के लिये इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 15/04/2025 अपरान्ह 12.00 बजे तक सलग्न आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा वांछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डाली जाएगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर राशि रु–5000.00 (पांच हजार) होगी।

नियम व शर्त :– 1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जाएगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह कर देता हो। प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर रिटर्न/पैन संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जाएगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के समिति से स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाए वह टैक्स तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जाएगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ायी जा सकती है। 8. प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। 9. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 10. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीओ, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 11. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 12. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. धरोहर की धनराशि नगद राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडी एवं एनएससी/डाकघर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बरगदी** के नाम बंधक से सम्बन्ध करना अनिवार्य है। 14. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 15. निविदा फार्म ग्राम पंचायत **बरगदी** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 रुपया है पर स्वीकार की जायेगी। 16. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **बरगदी** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामप्रधान-श्री प्रभात चौधरी, ग्रामपंचायत- बरगदी, वि0ख0- बर्डपुर, सिद्धार्थनगर
सचिव/ग्रा.वि.अ.- श्री अंकित कुमार शुक्ला, ग्रामपंचायत- बरगदी, वि0ख0- बर्डपुर, सिद्धार्थनगर

कार्यालय : ग्रा.पं.- चकई जोत, वि.खं.- बर्डपुर, जनपद- सिद्धार्थनगर

पत्रांक मेमो/निविदा/सामग्री/2025-26

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **चकई जोत** विकास खण्ड– **बर्डपुर** महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/पंचम वित्त/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत तथा कराए जाने वाले का कार्य जैसे– एसडीएम रोड, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी सेंटर सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम आदि के लिये इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 15/04/2025 अपरान्ह 12.00 बजे तक सलग्न आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा वांछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डाली जाएगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर राशि रु–5000.00 (पांच हजार) होगी।

नियम व शर्त :– 1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जाएगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह कर देता हो। प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर रिटर्न/पैन संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जाएगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के समिति से स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाए वह टैक्स तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जाएगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ायी जा सकती है। 8. प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। 9. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 10. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीओ, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 11. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 12. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. धरोहर की धनराशि नगद राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडी एवं एनएससी/डाकघर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **चकई जोत** के नाम बंधक से सम्बन्ध करना अनिवार्य है। 14. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 15. निविदा फार्म ग्राम पंचायत **चकई जोत** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 रुपया है पर स्वीकार की जायेगी। 16. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **चकई जोत** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामप्रधान-श्री लाल जी, ग्रामपंचायत- चकई जोत, वि0ख0- बर्डपुर, सिद्धार्थनगर
सचिव/ग्रा.वि.अ.- श्री अंकित कुमार शुक्ला, ग्रामपंचायत- चकई जोत, वि0ख0- बर्डपुर, सिद्धार्थनगर

कार्यालय : ग्रा.पं.- शिवपतिनगर, वि.खं.- नौगढ़, जनपद- सिद्धार्थनगर

पत्रांक मेमो/निविदा/सामग्री/2025-26

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **शिवपतिनगर** विकास खण्ड– **नौगढ़** महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/पंचम वित्त/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत तथा कराए जाने वाले का कार्य जैसे– एसडीएम रोड, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी सेंटर सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम आदि के लिये इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 22/04/2025 अपरान्ह 01.00 बजे तक सलग्न आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा वांछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डाली जाएगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर राशि रु–5000.00 (पांच हजार) होगी।

नियम व शर्त :– 1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जाएगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह कर देता हो। प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर रिटर्न/पैन संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जाएगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के समिति से स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाए वह टैक्स तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जाएगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ायी जा सकती है। 8. प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। 9. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 10. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीओ, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 11. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 12. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. धरोहर की धनराशि नगद राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडी एवं एनएससी/डाकघर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **शिवपतिनगर** के नाम बंधक से सम्बन्ध करना अनिवार्य है। 14. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 15. निविदा फार्म ग्राम पंचायत **शिवपतिनगर** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 रुपया है पर स्वीकार की जायेगी। 16. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **शिवपतिनगर** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामप्रधान- अनारकली, ग्रामपंचायत- शिवपतिनगर, वि0ख0- नौगढ़, सिद्धार्थनगर
सचिव/ग्रा.वि.अ.- अभिनव ओझा, ग्रामपंचायत- शिवपतिनगर, वि0ख0- नौगढ़, सिद्धार्थनगर

कार्यालय : ग्रा.पं.- खजुरिया, वि.खं.- नौगढ़, जनपद- सिद्धार्थनगर

पत्रांक मेमो/निविदा/सामग्री/2025-26

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **खजुरिया** विकास खण्ड–**नौगढ़** महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/पंचम वित्त/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत तथा कराए जाने वाले का कार्य जैसे– एसडीएम रोड, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी सेंटर सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम आदि के लिये इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 23/04/2025 प्रातः 10.00 बजे तक सलग्न आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा वांछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डाली जाएगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 12.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर राशि रु–5000.00 (पांच हजार) होगी।

नियम व शर्त :– 1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जाएगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह कर देता हो। प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर रिटर्न/पैन संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जाएगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के समिति से स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाए वह टैक्स तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जाएगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ायी जा सकती है। 8. प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। 9. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 10. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीओ, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 11. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 12. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. धरोहर की धनराशि नगद राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडी एवं एनएससी/डाकघर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **खजुरिया** के नाम बंधक से सम्बन्ध करना अनिवार्य है। 14. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 15. निविदा फार्म ग्राम पंचायत **खजुरिया** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 रुपया है पर स्वीकार की जायेगी। 16. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **खजुरिया** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामप्रधान- बबीता पाण्डेय, ग्रामपंचायत- खजुरिया, वि0ख0- नौगढ़, सिद्धार्थनगर
सचिव/ग्रा.वि.अ.- अभिनव ओझा, ग्रामपंचायत- खजुरिया, वि0ख0- नौगढ़, सिद्धार्थनगर

कार्यालय : ग्रा.पं.- रामगढ़, वि.खं.- नौगढ़, जनपद- सिद्धार्थनगर

पत्रांक मेमो/निविदा/सामग्री/2025-26

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **रामगढ़** विकास खण्ड– **नौगढ़** महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/पंचम वित्त/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत तथा कराए जाने वाले का कार्य जैसे– एसडीएम रोड, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी सेंटर सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम आदि के लिये इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 21/04/2025 अपरान्ह 02.00 बजे तक सलग्न आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा वांछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डाली जाएगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर राशि रु–5000.00 (पांच हजार) होगी।

नियम व शर्त :– 1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जाएगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह कर देता हो। प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर रिटर्न/पैन संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जाएगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के समिति से स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाए वह टैक्स तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जाएगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ायी जा सकती है। 8. प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। 9. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 10. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीओ, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 11. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 12. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. धरोहर की धनराशि नगद राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडी एवं एनएससी/डाकघर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **रामगढ़** के नाम बंधक से सम्बन्ध करना अनिवार्य है। 14. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 15. निविदा फार्म ग्राम पंचायत **रामगढ़** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 रुपया है पर स्वीकार की जायेगी। 16. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **रामगढ़** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामप्रधान- नसीम, ग्रामपंचायत- रामगढ़, वि0ख0- नौगढ़, सिद्धार्थनगर
सचिव/ग्रा.वि.अ.- अभिनव ओझा, ग्रामपंचायत- रामगढ़, वि0ख0- नौगढ़, सिद्धार्थनगर

कार्यालय : ग्रा.पं.- सेमरियाव, वि.खं.- नौगढ़, जनपद- सिद्धार्थनगर

पत्रांक मेमो/निविदा/सामग्री/2025-26

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **सेमरियाव** विकास खण्ड– **नौगढ़** महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/पंचम वित्त/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में स्वीकृत तथा कराए जाने वाले का कार्य जैसे– एसडीएम रोड, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी सेंटर सामुदायिक शौचालय, ओपन जिम आदि के लिये इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 16/04/2025 अपरान्ह 02.00 बजे तक सलग्न आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा वांछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में निविदा बाक्स में डाली जाएगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर राशि रु–5000.00 (पांच हजार) होगी।

नियम व शर्त :– 1. जिस आपूर्तिकर्ता की दर सबसे कम होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जाएगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह कर देता हो। प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर रिटर्न/पैन संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्डर खोला जाएगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के समिति से स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाए वह टैक्स तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाए। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जाएगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ायी जा सकती है। 8. प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा। 9. आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 10. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीओ, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 11. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 12. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. धरोहर की धनराशि नगद राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडी एवं एनएससी/डाकघर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **सेमरियाव** के नाम बंधक से सम्बन्ध करना अनिवार्य है। 14. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 15. निविदा फार्म ग्राम पंचायत **सेमरियाव** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 रुपया है पर स्वीकार की जायेगी। 16. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **सेमरियाव** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामप्रधान- सुनीता, ग्रामपंचायत- सेमरियाव, वि0ख0- नौगढ़, सिद्धार्थनगर
सचिव/ग्रा.वि.अ.- गायत्री देवी, ग्रामपंचायत- सेमरियाव, वि0ख0- नौगढ़, सिद्धार्थनगर